

भारतीय रिज़र्व बैंक, मुख्य कार्यालय भवन, गुवाहाटी में संचालकों के साथ खोजी कुत्तों की सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा आमंत्रित

भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी (इसके बाद आरबीआई/बैंक के रूप में संदर्भित) 01 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक की अवधि के लिए पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले पात्र ठेकेदारों से मुख्य कार्यालय भवन, आरबीआई, गुवाहाटी में संचालकों के साथ खोजी कुत्तों की सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-टेंडर आमंत्रित करता है।

काम की अनुमानित लागत	बयाना धन जमा
₹13,00,000/- (तेरह लाख मात्र) प्रति वर्ष, जीएसटी को छोड़कर	₹26,000/- (छब्बीस हजार रुपये मात्र)

ई-टेंडर जमा करने की अंतिम तिथि **05 जुलाई 2026 को 17:00 बजे तक है।** अधिक जानकारी के लिए, कृपया आरबीआई की वेबसाइट <https://www.rbi.org.in> पर "निविदा" अनुभाग देखें।

निविदा एमएसटीसी लिमिटेड (<http://mstcecommerce.com/eprochome/rbi>) के ई-टेंडरिंग पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। सभी इच्छुक कंपनियों/एजेंसियों/फर्मों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपर्युक्त वेबसाइट के माध्यम से एमएसटीसी लिमिटेड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा। कृपया यह भी ध्यान दें कि आगे का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

स्थान: गुवाहाटी
दिनांक: 04 जून 2026

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
गुवाहाटी

अस्वीकरण

बैंक ने इच्छुक पार्टियों को काम की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। जबकि बैंक ने यहां निहित जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे ठीक मानता है, न तो बैंक और न ही इसके किसी भी प्राधिकरण या उनके संबंधित अधिकारियों में से कोई अधिकारी, कर्मचारी इस दस्तावेज में निहित जानकारी या किसी भी जानकारी, जो इसके साथ प्रदान की जा सकती है, की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी नहीं देते हैं ना ही कोई भी अभ्यावेदन, व्यक्त या निहित, करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण होने का अभिप्राय नहीं है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ स्वयं करनी होगी। उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और वे निविदा जमा करते समय केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं करते हैं। सूचना इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों पर गैर-बाध्यकारी है।

बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। निविदा में भविष्य में जारी किया जाने वाला कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल आरबीआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

यह निविदा दस्तावेज न तो कोई प्रस्ताव पत्र है और न ही एक कानूनी संविदा है, बल्कि प्रस्ताव के लिए एक आमंत्रण है। इस निविदा-प्रक्रिया से बैंक की ओर से कोई भी संविदात्मक दायित्व तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि बैंक के विधिवत अधिकृत अधिकारियों और निविदाकर्ता द्वारा औपचारिक करार पर हस्ताक्षर और निष्पादित नहीं किए जाते हैं। निविदाकर्ता, निविदा प्रक्रिया में अपनी भागीदारी के बावजूद, निविदा दस्तावेजों के विवरण को हर समय गुप्त और गोपनीय मानेगा। इसके अलावा, बैंक इस निविदा के जवाब की तैयारी में निविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी लागत के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

विषय-सूची

क्रम संख्या	उपाधि	पेज नं.
1	निविदा आमंत्रित करने की सूचना	4-5
2	भाग I, खंड I: ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश	6-9
3	भाग I, खंड II: निविदाकर्ताओं को निर्देश	10-14
4	भाग I, खंड III: पात्रता मानदंड	15-19
5	भाग I, खंड IV: मूल्यांकन मैट्रिक्स	20-23
6	भाग I, खंड V: नियम और शर्तें	24-39
7	भाग I, खंड VI: तकनीकी बोली	40-43
8	अनुलग्नक I: ग्राहकों की सूची/पिछले अनुभव का विवरण	44
9	अनुलग्नक II: निविदाकर्ता के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र	45-46
10	अनुलग्नक III: अनुसूचित बैंक से बैंकर के प्रमाण पत्र का प्रपत्र	47
11	अनुलग्नक IV: उपक्रम / घोषणा का प्रारूप	48-49
12	अनुलग्नक V: प्रदर्शन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	50-52
13	अनुलग्नक VI: उन अधिनियमों/चूकों की सूची जिनके लिए ठेकेदार के श्रम विनियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है	53
14	भाग II: वित्तीय बोली/मूल्य बोली	54-56

निविदा आमंत्रित करने की सूचना
(केवल ई-खरीद के माध्यम से)
निविदा अनुसूची (एसओटी)

ई-टेंडर की अनुसूची इस प्रकार है

1	विभाग का नाम	मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी
2	ई-निविदा सं.	RBI/Guwahati/HRMD/3/26-27/ET/141[sniffer dogs with handlers]
3	कार्यों का विवरण	मुख्य कार्यालय भवन, भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेशन रोड, पानबाजार, गुवाहाटी में हैंडलरों के साथ खोजी कुत्तों की सेवाएं प्रदान करने का संविदा
4	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ख) https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली)
5	अनुमानित लागत	₹13,00,000/- (जीएसटी को छोड़कर)
6	बयाना धन जमा	₹26,000/- (अनुमानित लागत का 2%) [इसे एनईएफटी / डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर चेक या किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के ज़रिए जमा किया जाना है। यह 'रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, गुवाहाटी' के पक्ष में और अकाउंट नंबर 8692299, । आईएफएससी – RBISOGWPA01 में जमा किया जाना चाहिए। एनईएफटी ट्रांज़ैक्शन रिमाक्स में अपना नाम/ कंपनी का नाम/ टेंडर का नाम ज़रूर लिखें।]
7	उद्धृत दरों की वैधता	ई-टेंडर के भाग। के खुलने की तारीख से 90 दिन
8	निष्पादन की गारंटी	₹65,000/- (अनुमानित लागत का 5%)
9	प्रेस में एनआईटी का प्रकाशन, बैंक की वेबसाइट और एमएसटीसी पोर्टल	04 जून 2026 को 11:00 बजे
10	पार्टियों के देखने के लिए उपलब्ध एनआईटी की तिथि	04 जून 2026 से 13 जून 2026 तक
11	लेन-देन शुल्क	एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा शुल्क के अनुसार, शुल्क एमएसटीसी को प्रस्तुत किया जाएगा। लेनदेन शुल्क का भुगतान एमएसटीसी पेमेंट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा।
12	बोली पूर्व बैठक का कार्यक्रम	23 जून 2026 को 11:00 बजे स्थान – चौथी मंजिल, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, भारतीय



		रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी
13	भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर बोली-पूर्व बैठक के कार्यवृत्त के प्रकाशन की तिथि, यदि कोई हो।	25 जून 2026
14	एमएसटीसी वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि	04 जून 2026 को 11:00 बजे
15	तकनीकी वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ऑनलाइन ई-निविदा के समापन की तिथि	05 जुलाई 2026 को 17:00 बजे
16	भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी को ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	05 जुलाई 2026, 17:00 बजे तक
17	भाग I यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के खुलने की तिथि और समय	08 जुलाई 2026, सुबह 11:00 बजे से
18	मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय	यथासमय सूचित किया जाएगा।



भाग I, खंड I
ई-टेंडर के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपना ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को पढ़ें। जो बोलीदाता दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए ई-निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

1 ई-टेंडर की प्रक्रिया:

(ए) **पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ निविदाकर्ता का पंजीकरण शामिल है जो निःशुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, निविदाकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। निविदाकर्ता के पास श्रेणी III हस्ताक्षर प्रकार का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। निविदाकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े पीसी से बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होती है। एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां दर्ज नहीं की जाएंगी)।

विशेष लेख:

तकनीकी बोली www.mstcecommerce.com पर ऑनलाइन जमा करनी होगी।

निविदाकर्ताओं को ई-प्रोक्योरमेंट → कॉमन पोर्टल → www.mstcecommerce.com के साथ खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है → निविदाकर्ता लॉगिन → रजिस्टर → विवरण भरना और जमा करने → अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना → सबमिट

निविदाकर्ताओं को उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें।

संपर्क व्यक्ति (एमएसटीसी लिमिटेड):

एमएसटीसी तकनीकी सहायता डेस्क – 07969066600 (सिस्टम सेटिंग्स के लिए)

क्रम संख्या	संपर्क व्यक्ति	ई-मेल	फोन नंबर	तकनीकी सहायता
1	श्री प्रशांत चितरंजन, एम	ghyopn2@mstcindia.in	8592888286	0361 -2221199
2	श्री देबायन कर, एएम	ghyopn3@mstcindia.in	9831149790	
3	श्री श्रीराजन गुप्ता, एमटी	ghyopn1@mstcindia.in	9690044570	

संपर्क व्यक्ति (भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी):

क्रम संख्या	संपर्क व्यक्ति	ई-मेल	फोन नंबर
-------------	----------------	-------	----------



1	श्री प्रांजल सरमा	pranjalsarma@rbi.org.in	0361-2734470
2	श्री ऋषिकेश राभा	hrabha@rbi.org.in	

(बी) सिस्टम की आवश्यकता:

- विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम
- IE-7 और इसके बाद के संस्करण इंटरनेट एक्सप्लोरर
- हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर
- नवीनतम अद्यतन JRE 8 (x86 ऑफ़लाइन) सॉफ़्टवेयर को सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाना है
- "सुरक्षित मोड" को अक्षम करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) के लिए हस्ताक्षरकर्ता बॉक्स में प्रकट करने के लिए निम्न सेटिंग्स लागू किया जा सकता है।
 - टूल्स = > इंटरनेट ऑपसन्स => सिकुरिटी => यदि सक्षम हो तो संरक्षित मोड अक्षम करें - यानी, "संरक्षित मोड सक्षम करें" का उल्लेख करने वाले टिक बॉक्स से टिक निकालें।

(सी) अन्य सेटिंग्स:

- टूल्स = > इंटरनेट ऑपसन्स => सामान्य => "ब्राउज़िंग हिस्ट्री/ब्राउज़िंग हिस्ट्री हटाएं" = > अस्थायी इंटरनेट फ़ाइलें = के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें = > Activate "Every time I Visit the Webpage".
- सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने के लिए और कस्टम स्तर → इंटरनेट विकल्प → उपकरण के तहत 'पॉप अप अवरोधक का उपयोग करें' को अक्षम करने के लिए (कृपया एक बार <https://www.mstcecommerce.com> पृष्ठ से आईई सेटिंग्स चलाएं)।

(डी) **बोलीदाताओं** को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पहले निविदाकार मार्गदर्शिका और वीडियो गाइड देखें।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली को www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन जमा करना होगा। निविदा में दिए गए अनुसार निर्दिष्ट तिथि और समय पर बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएंगी।

निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।

2 लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:

निविदाकर्ता निविदाकर्ता लॉगिन में "माय मेनू" के तहत "लेनदेन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेनदेन शुल्क का भुगतान करेंगे। निविदाकर्ताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशेष निविदा का चयन करना होगा। निविदाकर्ता के पास एनईएफटी या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा होगी। एनईएफटी का चयन करने पर, निविदाकर्ता एक फॉर्म भरकर चालान तैयार करेगा। निविदाकर्ता चालान पर मुद्रित विवरण के अनुसार लेनदेन शुल्क राशि को उसमें बदलाव किए बिना भेज देगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, निविदाकर्ता के पास अपने क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग का उपयोग करके भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार जब भुगतान एमएसटीसी के निर्दिष्ट बैंक खाते में जमा हो जाता है, तो लेनदेन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और निविदाकर्ता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा।

3. लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक निविदाकर्ता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा



तक पहुंच नहीं होगी।

नोट: बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले लेनदेन शुल्क को अग्रिम रूप से जमा कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।

4. निविदाकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि एमएसटीसी पोर्टल के साथ पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। निविदाकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।

5. ई-निविदा को निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

6. ई-टेंडर में बोली:

- निविदाकर्ता (ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी, निविदा शुल्क (यदि कोई हो) और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करने की आवश्यकता है। निविदा शुल्क और लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल निविदाकर्ता (ओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा।
- इस प्रक्रिया में तकनीकी और वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।
- जिन निविदाकर्ताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल एमएसटीसी वेबसाइट www.mstcecommerce.com → कॉमन पोर्टल → निविदाकर्ता लॉगिन → मेरे मेनू → रजिस्टर करें → नीलामी फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट में इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली जमा कर सकते हैं।
- निविदाकर्ता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें सामान्य शर्तें/वाणिज्यिक विनिर्देश भरना होगा और उसे सहेजना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें, यदि यह आवेदन नहीं चलाया जाता है, तो निविदाकर्ता अपनी तकनीकी बोली को सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।
- तकनीकी बोली भरने के बाद, निविदाकर्ता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'save' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, वाणिज्यिक बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है और फिर निविदाकर्ता को अपनी वाणिज्यिक बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'save' पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार दोनों बोलियां सहेज लेने के बाद, निविदाकर्ता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकता है।
- निविदाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करें। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।
- सभी मामलों में, निविदाकर्ता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।
- पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, निविदाकर्ता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।
- ई-टेंडर का काम पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुला रहेगा। ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां निविदाकर्ता पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस निविदाकर्ता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और बैंक द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए बैंक और निविदाकर्ता के बीच एक बाध्यकारी संविदा बनाएगी।



- j. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं, अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- k. बैंक के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- l. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी निविदाकर्ता द्वारा ई-टेंडर फ्लोर में बोली जमा करना निविदा के नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि करता है।
- m. इस ई-टेंडर के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।
- n. निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख का विस्तार करने का अधिकार है।
- o. निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निविदाकार गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के <https://www.mstcecommerce.com/eprochome> पेज में वीडियो देखें।
- p. तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
- q. किसी भी निविदाकर्ता द्वारा ई-टेंडर में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है। इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा। निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली प्राप्त करने की नियत तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।
- r. बोली का मूल्यांकन भरे हुए तकनीकी और वाणिज्यिक प्रारूपों के आधार पर किया जाएगा।
- s. बोलीदाताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच के दौरान बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो चूककर्ता बोलीदाता (बोलीदाताओं) का ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा। चूककर्ता बोलीदाताओं के विरुद्ध निलंबन और कारोबार पर प्रतिबंध सहित दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।
- t. निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे निविदाकार गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के www.mstcecommerce.com/eprochome पृष्ठ में वीडियो देखें।



भाग I, खंड II

निविदाकर्ताओं को निर्देश

2.1 भारतीय रिज़र्व बैंक, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, गुवाहाटी पात्र निविदाकर्ताओं से दो भाग में <https://www.rbi.org.in/> और www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। पात्र निविदाकर्ताओं को दो भागों यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली ऑनलाइन जमा करनी होगी।

2.2 ई-निविदा दस्तावेज़:

- (i) निविदा में ऐसे दस्तावेज शामिल होते हैं जिनमें तकनीकी-वाणिज्यिक स्थितियां (सभी अनुभाग और अनुलग्नक) के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी की गई अनुसूची, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र आदि और मूल्य बोली शामिल होती है। ई-निविदा दस्तावेज / निविदा आमंत्रित करने की सूचना <https://www.rbi.org.in/> और www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi से डाउनलोड की जा सकती है
- (ii) निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-टेंडर दस्तावेजों का अच्छी तरह से अध्ययन करें। ई-निविदा जमा करने को निविदाकर्ता द्वारा इसके निहितार्थों की पूरी समझ के साथ ई-निविदा दस्तावेजों के सावधानीपूर्वक अध्ययन और जांच के बाद किया गया माना जाएगा।

2.3 बोली-पूर्व बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक निविदा आमंत्रित करने की सूचना की अनुसूची में उल्लिखित समय और स्थान पर पूर्व-बोली बैठक आयोजित करेगा, ताकि किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया जा सके / निविदा के संबंध में संभावित निविदाकर्ता के पास स्पष्टीकरण दिया जा सके और उन्हें उसी के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जा सके।

2.4 ई-निविदा दस्तावेज में संशोधन

बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक, किसी भी कारण से, चाहे वह अपनी पहल पर हो या किसी संभावित निविदाकर्ता द्वारा उठाए गए स्पष्टीकरण या प्रश्न के उत्तर में, एक संशोधन द्वारा ई-निविदा को संशोधित कर सकता है और इसे संभावित बोलीदाताओं की जानकारी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर शुद्धिपत्र के रूप में अपलोड किया जाएगा। ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए भावी निविदाकर्ताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, बैंक अपने विवेक से बोलियां प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

2.5 निविदा तैयार करना

(i) टेक्नो - वाणिज्यिक बोली

1. सभी अनुभाग और अनुलग्नक तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा हैं। सभी अनुभागों और अनुलग्नों पर निविदाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
2. निविदाकर्ता को विभिन्न अनुभागों में निर्दिष्ट सभी विवरण भरने होंगे और पत्रक/आवश्यक दस्तावेजों/ब्रोशर आदि को संलग्न करना होगा।
3. ईएमडी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का हिस्सा होगा। ईएमडी की राशि निविदा आमंत्रित करने की सूचना की अनुसूची में दर्शाई गई है,
4. टेंडर देने वालों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टेंडर में बताए गए दूसरे डॉक्यूमेंट्स से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर अपलोड करके जमा करने होंगे।



(ii) **मूल्य बोली:**

- अ) **बोली की मुद्रा:** बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। इन कीमतों में काम से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें कोई भी बाहरी/ जुटाने का खर्च, उपकरण, श्रमिकों की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक, सभी कर (**जीएसटी को छोड़कर**), शुल्क, लेवी, उपकर, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर, श्रम, अन्य सरकारी कर, मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा निर्धारित दर पर न्यूनतम मजदूरी, शामिल हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्र सरकार या अन्य सांविधिक प्राधिकरण समय-समय पर और ईपीएफ/ईएसआई अंशदान, आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा **कि नियमों के अनुसार लागू होता है।**
- आ) कीमत को मूल्य अनुसूची के अनुरूप सख्ती से उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
- इ) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल्य अनुसूची के सभी कॉलम विधिवत भरे गए हैं, और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। भाग-II/वित्तीय बोली को खोलने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ई) यदि मूल्य अनुसूची का कोई कॉलम खाली पाया जाता है तो संबंधित निविदाकर्ता की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और आरबीआई द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और उक्त निविदाकर्ता (निविदाओं) के ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो बैंक निविदा खंड के अनुसार मामले की समीक्षा भी कर सकता है।
- (iii) **प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह सभी स्थानीय परिस्थितियों और कारकों से पूरी तरह परिचित हो**, जिसका संविदा के प्रदर्शन और वस्तुओं की लागत पर कोई प्रभाव पड़ेगा। निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद किसी भी स्थानीय स्थिति या कारक के कारण मूल्य में परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.6 बोलियों की वैधता की अवधि

- (i) निविदा की वैधता अवधि निविदा खोलने की तारीख से नब्बे (90) दिन होगी।
- (ii) असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, बैंक निविदाकर्ताओं से उनकी निविदा की वैधता की अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में की जाएंगी।

2.7 बयाना धन जमा (ईएमडी)/बोली सुरक्षा:

- (i) टेंडर भरने वाले को ₹26,000/- की ईएमडी जमा करनी होगी। यह राशि NEFT/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक या किसी शेड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के ज़रिए जमा की जा सकती है। इसे 'रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया, गुवाहाटी' के पक्ष में, अकाउंट नंबर 8692299 और IFSC कोड RBIS0GWPA01 पर जमा करना होगा। NEFT ट्रांज़ैक्शन के रिमाक्स में अपना नाम/कंपनी का नाम/टेंडर का नाम ज़रूर लिखें। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
- (ii) ईएमडी के साथ नहीं बोलियां गैर-उत्तरदायी मानी जाएंगी और आरबीआई द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।
- (iii) सफल निविदाकर्ता को कार्य आदेश जारी करने के बाद असफल निविदाकर्ताओं को असफल निविदाकर्ताओं को ईएमडी वापस कर दिया जाएगा।



2.8 निम्नलिखित परिस्थितियों में ईएमडी को जब्त किया जा सकता है:

- (i) यदि टेंडर देने वाला जमा किए गए फॉर्म, स्टेटमेंट और अटैचमेंट में गुमराह करने वाली या झूठी जानकारी देता है, कोई ज़रूरी जानकारी, कोर्ट में पेंडिंग किसी कानूनी कार्रवाई की डिटेल्स छिपाता है, जिससे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कोई असर पड़ सकता था; या
- (ii) एक निविदाकर्ता मूल्य बोली के कॉलम को खाली छोड़ देता है या कई वित्तीय बोलियां जमा करता है या
- (iii) एक निविदाकर्ता बोली वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है, या
- (iv) निविदाकर्ता को किसी भी सरकारी एजेंसी, पीएसयू द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया है और ब्लैकलिस्टिंग अभी भी लागू है या
- (v) सफल निविदाकर्ता के मामले में, यदि वह निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है।

2.9 **बोलियां जमा करने की प्रक्रिया**

इस निविदा के लिए दो भाग रखने का प्रस्ताव है

(i) **टेक्नो-वाणिज्यिक बोली (भाग I) में निम्नलिखित मदें शामिल हैं**

- (अ) टेक्नो - वाणिज्यिक बोली (सभी खंड और अनुलग्नक) "(तकनीकी - वाणिज्यिक बोली और निविदा दस्तावेज में उल्लिखित कार्य का नाम)" कृपया ध्यान दें कि कीमतों को तकनीकी - वाणिज्यिक बोली में इंगित नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi को प्रस्तुत की जा सकती है।

- (आ) पूर्व-योग्यता का दस्तावेजी प्रमाण www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए

- (इ) ईएमडी का भुगतान विवरण संलग्न किया जाएगा।

(ii) **मूल्य बोली (भाग II)**

मूल्य बोली "(टेंडर डॉक्यूमेंट में बताए गए प्राइस बिड और काम का नाम)" www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर सबमिट की जा सकती है।

2.10 कोई सशर्त/वैकल्पिक उद्धरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2.11 निविदाकारों को बोलियों की प्राप्ति के बाद अपनी बोलियों को बदलने या संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.12 जिन लोगों ने निविदा डाउनलोड की है, उन्हें पात्रता मानदंड प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.13 **ई-निविदाओं की प्राप्ति**

ई-निविदा बोलियां निर्धारित समय और तारीख तक स्वीकार की जाएंगी, जैसा कि **ई-निविदा आमंत्रित करने वाले नोटिस** में संदर्भित किया गया है। इसके बाद प्राप्त ई-निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

2.14 **तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली खोलना**

तकनीकी - वाणिज्यिक बोलियां निर्धारित समय और तारीख पर 4 वीं मंजिल, मानव संसाधन प्रबंध विभाग, आरबीआई, गुवाहाटी में खोली जाएंगी जैसा कि ई-निविदा आमंत्रित करने के नोटिस में उल्लिखित है। मूल्य बोली



खोलने का समय और तारीख बाद में योग्य बोलीदाताओं को सूचित की जाएगी। निविदाकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं, यदि वे चाहें तो।

2.15 बोली की जांच

- (i) निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ अनुलग्नक 1, 2 और 3 में प्रदान की गई चेकलिस्ट के अनुसार निविदाकर्ताओं द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।
- (ii) तकनीकी-बोली में सफल बोलीदाताओं की मूल्य बोली (भाग-II) एमएसटीसी वेबसाइट पर तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त बोलीदाताओं को पूर्व सूचना के साथ खोली जाएगी।
- (iii) यदि एक से अधिक एजेंसियों की वित्तीय बोलियों में उद्धृत राशि L1 बन जाती है, तो कार्य उस एजेंसी को दिया जाएगा जो मूल्यांकन मैट्रिक्स (अनुलग्नक 3) में उच्च अंक प्राप्त करती है।
- (iv) भारतीय रिज़र्व बैंक को आदेश देते समय/संविदा पर हस्ताक्षर करते समय मात्रा में भिन्न-भिन्न होने का अधिकार है।
- (v) किसी भी बोली को स्वीकार करने और किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होते हुए भी, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे प्रभावित निविदाकर्ता या निविदाकर्ताओं के प्रति कोई दायित्व नहीं होगा। बैंक किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा।

2.16 भारतीय रिज़र्व बैंक निम्नलिखित के कारण संविदा प्रदान करने से पहले किसी भी चरण में चयन प्रक्रिया को रद्द करने/समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है:

- (i) यदि कोई बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (ii) किसी भी घटना की घटना जिसके कारण चयन प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना संभव नहीं है।
- (iii) निविदाकर्ताओं की ओर से संभावित सहयोग/शरारत, चयन प्रक्रिया की प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता में हेरफेर करने या किसी अन्य कारण का कोई सबूत प्राप्त होता है, जिसके लिए बैंक की राय में चयन प्रक्रिया को रद्द करने की आवश्यकता होती है।
- (iv) ऐसी किसी भी घटना के घटित होने पर, आरबीआई सभी निविदाकर्ताओं को 7 दिनों के भीतर या ऐसे निर्णय के उचित समय के भीतर सूचित करेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत ईएमडी को 15 दिनों के भीतर या इस तरह के नोटिस जारी करने के उचित समय के भीतर तुरंत वापस कर देगा। भारतीय रिज़र्व बैंक इस संबंध में किसी भी निविदाकर्ता को कोई कारण या स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। इस खंड के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक का दायित्व ईएमडी को वापस करने तक ही सीमित है और इस खाते पर बैंक द्वारा किसी भी प्रकार की लागत/व्यय की कोई अन्य प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।
- (v) बैंक आगे प्रक्रिया को फिर से निविदा देने या किसी सरकारी एजेंसी या अर्ध सरकारी एजेंसी द्वारा कार्य करने का अधिकार सुरक्षित रखता है यदि बैंक की राय है कि प्राप्त बोलियां आर्थिक रूप से या अन्यथा व्यवहार्य नहीं हैं या उपरोक्त खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं हैं।
- (vi) बैंक निविदाकर्ता द्वारा किसी भी अतिरिक्त शर्तों की शर्त को हतोत्साहित करता है।
- (vii) पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, मूल्यांकन और बोलियों की तुलना के दौरान अर्हता मानदंडों के संबंध में निविदाकर्ताओं की स्वीकार्यता को अंतिम रूप देना आवश्यक है, बैंक अपने विवेक पर बोली पर स्पष्टीकरण के लिए बोली लगाने वाले से पूछ सकता है। स्पष्टीकरण का अनुरोध लिखित में दिया जाएगा, जिसमें निविदाकर्ता से एक निर्दिष्ट



तिथि तक जवाब देने के लिए कहा जाएगा, और इसमें यह भी उल्लेख किया जाएगा कि यदि निविदाकर्ता का जवाब नहीं दिया जाता है या वह तारीख तक जवाब नहीं देता है, तो उसका निविदा अस्वीकार किया जा सकता है। परिणाम के आधार पर, ऐसे निविदाओं को नजरअंदाज किया जाना है या आगे विचार किया जाना है। निविदा की विशिष्टताओं सहित कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा, पेश या अनुमति नहीं दी जाएगी। बोली लगाने वाले की पहल पर बोली के बाद कोई स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। कमी की जानकारी/दस्तावेज केवल उन ऐतिहासिक दस्तावेजों के मामले में मांगे जाने चाहिए जो निविदा खुलने के समय पहले से मौजूद थे और जिनमें तब से कोई बदलाव नहीं हुआ है। जहां तक योग्यता मानदंडों के संबंध में दस्तावेजों की प्रस्तुति का संबंध है, निविदा जमा करने के बाद, केवल संबंधित कमी दस्तावेजों के लिए कहा जाना चाहिए और उन पर विचार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि बोलीदाता ने अपने पूर्ण/प्रदर्शन प्रमाण पत्र के बिना एक अनुबंध प्रस्तुत किया है, तो प्रमाण पत्र के लिए पूछा जा सकता है और विचार किया जा सकता है। हालांकि, बोली लगाने वाले को योग्य बनाने के लिए कोई नया अनुबंध नहीं मांगा जाना चाहिए। अर्हता प्राप्त निविदाकर्ताओं की शॉर्टलिस्टिंग का अभ्यास पूरा करने के बाद, अस्वीकृत निविदाकर्ताओं को अस्वीकृति की सूचना लिखित में दी जाएगी।



भाग I, खंड III
पात्रता मानदंड

एक) **पात्रता** - इच्छुक निविदाकर्ता एक ऐसी कंपनी/फर्म होनी चाहिए जिसके पास समान प्रकृति के काम करने और सरकारी विभागों/सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के संस्थानों को सेवाएं प्रदान करने का अनुभव हो, जिसका संविदा मूल्य प्रति संस्थान प्रति वर्ष 5.00 लाख रुपये से कम न हो। उन्हें पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा और नीचे उल्लिखित पात्रता मानदंडों के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा/घोषणा अपलोड करनी होगी, जिसके अभाव में बोली अस्वीकृति के अधीन है

<p>i) पंजीकरण: -</p>	<p>निविदाकर्ता को उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होना चाहिए और एक अच्छी तरह से स्थापित संगठन होना चाहिए। (नोट: - पंजीकरण के लिए दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए)</p>
<p>ii) अनुभव: -</p>	<p>निविदाकर्ता के पास पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 की निरंतर अवधि के दौरान प्रतिष्ठित संगठनों (सरकारी विभागों (केंद्र या राज्य)/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय निगमों/सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों) में स्लिफर डॉग्स के साथ हैंडलर की सेवाएं प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए। निविदाकर्ता को अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार अपनी ग्राहक सूची प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें पिछले पांच वित्तीय वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिखाया गया है। नोट: - पिछले पांच वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान कम से कम पांच वर्षों की निरंतर अवधि के लिए समान कार्यों/अनुबंधों के आधार पर सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए स्लिफर डॉग्स की सेवाएं प्रदान करने में ऐसे अनुभव के लिए दस्तावेजी साक्ष्य और अनुलग्नक-1 के साथ कम से कम पांच वर्षों की निरंतर अवधि के लिए समान कार्य/संविदा के आधार पर प्रासंगिक कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।</p>
<p>iii) ग्राहक प्रमाण पत्र:-</p>	<p>निविदाकर्ता को अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र अपलोड / जमा करना होगा, जिसने सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र-केंद्रीय या राज्य/प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय निगमों/सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों में हैंडलरों के साथ इसी तरह के कार्यों/अनुबंधों को सफलतापूर्वक पूरा किया है।पिछले पांच वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 जो निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:</p>



	<p>हैंडलर के साथ स्लिफर डॉग की सर्विस देने के लिए एक (01) या उससे ज़्यादा काम, जिनकी कीमत अनुमानित कीमत के 80% के बराबर हो।</p> <p>या</p> <p>हैंडलर के साथ स्लिफर डॉग की सर्विस देने के लिए दो (02) या उससे ज़्यादा काम, जिनमें से हर एक की कीमत अनुमानित कीमत के 50% के बराबर हो।</p> <p>या</p> <p>हैंडलर के साथ स्लिफर डॉग्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन (03) कार्य या उससे अधिक हैंडलर प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है।</p> <p>निर्दिष्ट प्रारूप अनुलग्नक-II के अनुसार उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए, जिसके बिना ई-निविदा बैंक के विवेक पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है।</p>
iv) निविदाकर्ता का वार्षिक कारोबार और साख: -	<p>निविदाकर्ता के पास पिछले पांच वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान संविदा की अनुमानित लागत ₹13,00,000/- (तेरह लाख रुपये मात्र) के बराबर वार्षिक कारोबार या 100 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए।</p> <p>(पिछले पांच वर्षों के लिए उनकी साख और कारोबार के प्रमाण में एमएसटीसी पोर्टल पर आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र / मूल्यांकन आदेश / खातों का सीए प्रमाणित विवरण / लेखा परीक्षित बैलेंस शीट अपलोड करें)</p>
v) सेवा सेट अप	<p>गुवाहाटी में एक पूर्ण सेवा स्थापित करने के समर्थन में प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना चाहिए।</p> <p>(एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)</p>
vi) फर्म की संरचना	<p>निविदाकर्ता की संरचना का पूर्ण विवरण (चाहे निविदाकर्ता एक व्यक्ति, या एक साझेदारी फर्म, या एक कंपनी आदि) के साथ भागीदारों के नाम और पते (ओं) के साथ अपलोड किया जाना चाहिए, एसोसिएशन के लेख / पावर ऑफ अटॉर्नी / किसी भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज की प्रति।</p> <p>(एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)</p>
vii) बैंकर और उनके वर्तमान संपर्क कार्यकारी का नाम और पता	<p>उनके बैंकरों के नाम और पते के बारे में लिखित जानकारी के साथ-साथ पूरे विवरण जैसे नाम, डाक पते, ई-मेल आईडी, टेलीफोन नंबर। संपर्क अधिकारियों (यानी वे व्यक्ति जिनसे बैंक द्वारा अपने बैंकर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है) के (लैंडलाइन और मोबाइल), फैक्स नंबर, आदि अपलोड किए जाने चाहिए।</p> <p>(एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना है)</p>
viii) बैंकर का प्रमाण पत्र: -	<p>निविदाकर्ता को अपनी क्रेडिट योग्यता साबित करने के लिए निविदा की अनुमानित लागत ₹13,00,000/- (तेरह लाख मात्र) के 100 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक मूल्य के अनुलग्नक III में दिए गए बैंकर प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना होगा।</p> <p>(एमएसटीसी पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार बैंकर प्रमाण पत्र अपलोड करें)</p>



ix) लाभ: -	निविदाकर्ता को पिछले पांच वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान लाभदायक होना चाहिए (सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित/एमएसटीसी पोर्टल पर बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति अपलोड करें)
x) चालू बैंक खाता: -	निविदाकर्ता के पास अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में चालू बैंक खाता होना चाहिए (उनके बैंक खातों का पूरा विवरण, जैसे खाता संख्या, प्रकार, खोलने की तारीख आदि अपलोड किया जाना चाहिए)।
xi) पैन:-	निविदाकर्ता के पास वैध पैन होना चाहिए। (पैन की स्कैन की गई कॉपी एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करें।)
xii) जीएसटी पंजीकरण: -	निविदाकर्ता के पास वैध जीएसटी पंजीकरण होना चाहिए। (एमएसटीसी पोर्टल पर जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करें।)
xiii) ईपीएफ पंजीकरण: -	निविदाकर्ता के पास वैध कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पंजीकरण होना चाहिए। (एमएसटीसी पोर्टल पर ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करें।)
xiv) ईएसआई पंजीकरण: -	निविदाकर्ता के पास वैध कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) पंजीकरण होना चाहिए। (एमएसटीसी पोर्टल पर ईएसआई पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करें।)
xv) प्रमाणन: -	निविदाकर्ता के पास काम के समान दायरे के लिए लागू वैध आईएसओ प्रमाणन होगा। प्रमाण पत्र निविदा जमा करने की अंतिम तिथि पर मान्य होंगे। (एमएसटीसी पोर्टल पर संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।)
xvi) बयाना धन जमा (ईएमडी): -	निविदाकर्ता को ₹26,000/- (छब्बीस हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा करनी होगी। ईएमडी के बिना ई-टेंडर को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।
xvii) उपक्रम/घोषणा: -	निविदाकर्ता को एजेंसी/कंपनी/फर्म के लेटर हेड पर अनुलग्नक-IV में निर्दिष्ट उपक्रम/घोषणा को अपलोड/जमा करना चाहिए कि एजेंसी/कंपनी/फर्म के खिलाफ कोई मामला/न तो जांच/पूछताछ/परीक्षण के तहत कोई आरोप नहीं होना चाहिए, न ही इसे किसी न्यायालय में दोषी ठहराया जाना चाहिए या किसी भी आधार पर किसी संगठन द्वारा निलंबित/काली सूची में डाला जाना चाहिए। तथ्यों को छिपाने और बाद में पता लगाने से संविदा रद्द हो जाएगा/बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। (एमएसटीसी पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार बोलीदाता के लेटर हेड पर उपक्रम/घोषणा अपलोड करें)
xviii) केनेल क्लब पंजीकरण	विस्फोटक का पता लगाने वाले कुत्तों को केनेल क्लब ऑफ इंडिया (केसीआई)/राॅयल केनेल क्लब ऑफ इंडिया (आरकेसीआई)/नेशनल केनेल क्लब ऑफ इंडिया (एनकेसीआई) के साथ पंजीकृत होना चाहिए। (एमएसटीसी पोर्टल पर संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।)

- a) निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत निविदाएं, जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं और उपर्युक्त सभी विनिदष्ट पात्रता मानदंडों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के बिना और निविदा में उल्लिखित अन्य निबंधन और शर्तों को भी बैंक द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- b) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ई-टेंडर ऑनलाइन जमा करने से पहले पात्रता मानदंडों को पूरा



करते हैं और उन्हें ई-टेंडर के साथ सभी प्रासंगिक विवरण/जानकारी भी जमा करनी चाहिए और **एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करना चाहिए।**

- c) बोलियों के संबंध में बैंक की राय/निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक किसी भी समय किसी भी या सभी बोलियों को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- d) निविदाकर्ता को **अनुलग्नक 1** में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार सेवा प्रदान किए गए ग्राहकों (वर्तमान और पिछले) की सूची अपलोड करनी चाहिए। पिछले **पांच वित्तीय वर्षों यानी वित्त 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के निविदाकर्ता के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहकों के वर्तमान और पिछले असाइनमेंट प्रमाण पत्र** प्रस्तुत किए जाने चाहिए। बैंक एजेंसी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र की पुष्टि/संतुष्टि के लिए इनमें से किसी भी ग्राहक से संपर्क करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक अपने ग्राहकों और बैंकरों से निविदाकर्ता के पिछले प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। बैंक निविदाओं के भाग- II को खोलने से पहले उक्त रिपोर्टों का मूल्यांकन कर सकता है। यदि कोई निविदाकर्ता किसी भी समय निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपेक्षित पात्रता को पूरा नहीं करता पाया जाता है और/या अपने ग्राहकों और/या उसके बैंकरों से प्राप्त इसकी निष्पादन रिपोर्ट असंतोषजनक पाई जाती है, तो बैंक निविदा के भाग-I के खुलने के बाद भी अपने प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ईएमडी निविदाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। बैंक ऐसा करने के लिए कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है।
- e) निविदाकर्ता के पास अपने कार्यबल (इस उद्देश्य के लिए तैनात किए जाने वाले) का पुलिस सत्यापन करने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और वह अपने आचरण/अनियमित व्यवहार के लिए जिम्मेदार होगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा नियोजित सभी कार्यकर्ता/सदस्यों के पास उचित पुलिस सत्यापन और समय-समय पर चिकित्सा जांच (समय-समय पर नवीनीकृत की जानी चाहिए)। सफल निविदाकर्ता इस संबंध में बैंक को एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
- f) एक निविदाकर्ता का ट्रैक रिकॉर्ड अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में किसी भी भागीदारी के बिना साफ होना चाहिए। प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म के मामले में निविदाकर्ता या प्रोपराइटर/पार्टनर्स के खिलाफ पुलिस/कोर्ट/रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ कोई मामला नहीं होना चाहिए।
- g) **पिछले 10 वर्षों में** किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक कानून के उल्लंघन के लिए निविदाकर्ता पर मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए या कोई जुर्माना नहीं भुगतना चाहिए।
- h) निविदाकर्ता को पिछले 10 वर्षों में किसी भी आधार पर भारत में किसी भी स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक सहित किसी भी संगठन द्वारा निलंबित/सूचीबद्ध/काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए।
- i) टेंडर देने वाले ने पिछले 10 सालों में अपने किसी भी क्लाइंट द्वारा दिए गए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तय समय खत्म होने से पहले रद्द नहीं किया होना चाहिए। टेंडर देने वाले को अपने क्लाइंट के साथ हुए सभी झगड़ों की जानकारी देनी होगी और उनका स्टेटस भी बताना होगा।
- j) बैंक अपूर्ण ई-निविदा प्रपत्रों या बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जहां निविदा को खाली छोड़ दिया गया है या यदि प्रस्तुत की गई जानकारी भ्रामक पाई जाती है।
- k) यदि किसी भी कारण से निविदाकर्ता का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो किसी भी संगठन में, बैंक निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- l) बोली के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक की राय/निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और निविदा पुरस्कार से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे निविदाकर्ताओं को कोई दायित्व नहीं मिलता है या उसका कोई कारण नहीं बताया जाता है। इसके अलावा, बोलियों को सही तरीके से खारिज कर दिया जाएगा यदि प्रस्तुत की गई जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है या बोलियां सशर्त हैं।



भाग- I, खंड-IV

मूल्यांकन मैट्रिक्स

1 तकनीकी बोली मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन मैट्रिक्स:

बैंक द्वारा निर्धारित आंतरिक मूल्यांकन पैरामीटर और वेटेज स्कोर नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या।	मूल्यांकन मानदंड	वेटेज
1.	पिछले 3 वर्षों में औसत टर्न ओवर	
	a ₹1.0 करोड़ और उससे अधिक	10
	b ₹50.0 लाख और उससे अधिक लेकिन ₹1.0 करोड़ से कम	8
	c ₹13.0 लाख और उससे अधिक लेकिन ₹50.0 लाख से कम	5
2.	पिछले 3 वर्षों में औसत शुद्ध लाभ	
	a ₹25.0 लाख और उससे अधिक	10
	b ₹10.0 लाख से अधिक लेकिन ₹25.0 लाख से कम	8
	c ₹10.0 लाख से कम	5
3.	स्त्रिफर डॉंग सेवा व्यवसाय में वर्षों की संख्या (मार्च 31,2025 तक)	
	a 15 वर्ष और उससे अधिक	10
	b 7 साल से अधिक लेकिन 15 वर्ष से कम	7
	c 5 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम	5
4.	एजेंसी के निगमन का प्रकार	
	a लिमिटेड कंपनी	10
	b प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म	5
5.	क्या डायरेक्टरेट जनरल रिसेटलमेंट (DGR) की पैनल वाली एजेंसी है (वैकल्पिक)	
	a हाँ	10
	b नहीं	5
6.	एजेंसी द्वारा तैनात खोजी कुत्तों की संख्या	
	a 50 और उससे अधिक	10



b	25 और उससे अधिक लेकिन 50 से कम	7
c	10 और उससे अधिक लेकिन 25 से कम	5
d	10 से कम	2

7.	गुणवत्ता प्रमाणन (31 मार्च ,2026 तक)		
a	आईएसओ 9001/एसए 8000/ओएचएसएस 18001/स्त्रिफर डॉग सेवा से संबंधित कोई अन्य (पिछले 5-10 वर्षों के भीतर प्राप्त)		10
B	आईएसओ 9001/एसए 8000/ओएचएसएस 18001/स्त्रिफर डॉग सेवा से संबंधित कोई अन्य (पिछले 5 वर्षों के भीतर प्राप्त)		7
8.	स्त्रिफर डॉग्स की तैनाती के लिए क्लाइंट सर्टिफिकेट		
a	हैंडलर के साथ स्त्रिफर डॉग्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए एक (01) कार्य या अधिक, अनुमानित लागत के 80% के बराबर राशि से कम नहीं।		10
b	अथवा स्त्रिफर डॉग्स की हैंडलर्स के साथ सेवाएं प्रदान करने के लिए दो (02) या उससे अधिक कार्य, जिनमें से प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 50% के बराबर राशि से कम नहीं होगी। अथवा		7
c	हैंडलर के साथ स्त्रिफर डॉग्स की सेवाएं प्रदान करने के लिए तीन (03) कार्य या उससे अधिक हैंडलर प्रत्येक की लागत अनुमानित लागत के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है।		5
9.	भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य कार्यालयों से प्रमाण पत्र (प्रत्येक संतोषजनक सेवा प्रमाण पत्र के लिए एक अंक)		10 (अधिकतम)
10.	कुत्तों के लिए प्रशिक्षण सेट अप		
A	एजेंसी जिसके पास अपना प्राधिकृत प्रशिक्षण स्थापित है		10
B	प्रशिक्षण व्यवस्था रखने वाली अन्य एजेंसी के साथ टाई-अप व्यवस्था करने वाली एजेंसी		5

2) मूल्यांकन मानदंड:-

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निविदा का मूल्यांकन नीचे वर्णित के रूप में किया जाएगा:

- सबसे पहले, भाग-1 (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन किया जाएगा। निविदाकार पात्रता मानदंड में निर्दिष्ट तकनीकी मूल्यांकन के लिए सभी जानकारी प्रस्तुत करेंगे।



- b. पात्रता मानदंड में उल्लिखित विभिन्न मदों के लिए सहायक दस्तावेजों को तकनीकी मूल्यांकन के लिए MSTC पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। **निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्य के बिना अपलोड की गई निविदाओं को बैंक द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।**
- c. बैंक पात्रता मानदंड के संबंध में निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी और दस्तावेजों की जांच करेगा और तकनीकी बोली मूल्यांकन में योग्यता के संबंध में निर्णय लेगा।
- d. बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी निविदाकर्ता से अपनी निविदा के स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण, जो बैंक के लिए उचित नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी।
- e. यदि कोई निविदाकर्ता बैंक द्वारा निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो **उसकी निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी।**
- f. तकनीकी बोली मूल्यांकन के लिए अंकों की स्कोरिंग **निविदा दस्तावेज के मूल्यांकन मैट्रिक्स में उल्लिखित मानदंडों पर आधारित होगी।**
- g. बैंक सबसे कम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक बिना कोई कारण बताए सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

नोट: - एमएसटीसी ई-कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड की जानी चाहिए।

3) भाग-1, तकनीकी बोली मूल्यांकन: -

- a. निविदाकर्ता जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और तकनीकी बोली मूल्यांकन में 100 में से न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करते हैं, वे भाग-1। वित्तीय बोलियों को खोलने के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।
- b. तकनीकी बोली मूल्यांकन में 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले निविदाकर्ता बोली मूल्यांकन की आगे की प्रक्रिया से अस्वीकृत हो जाएंगे।
- c. तकनीकी बोली मूल्यांकन में एक निविदाकर्ता द्वारा प्राप्त कुल अंकों को सफल निविदाकर्ता के आगे के चयन के लिए वेटेज का 30% आवंटित किया जाएगा।



- d. **चित्रण-1:** यदि किसी निविदाकर्ता ने तकनीकी बोली मूल्यांकन में कुल 100 अंकों में से 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका तकनीकी बोली मूल्य 21 (तकनीकी मूल्यांकन में प्राप्त 30% X अंक) होगा।

$$\text{टीबीवी} = 30\% * 70 = 21$$

- e. तकनीकी बोली मूल्यांकन चरण में अर्हता प्राप्त निविदाकर्ताओं को केवल भाग- II, वित्तीय बोली मूल्यांकन खोलने के लिए बुलाया जाएगा। बैंक निविदाकर्ताओं को ई-मेल द्वारा वित्तीय बोली खोलने के लिए समय/स्थान की जानकारी देगा।

4) भाग- II, वित्तीय बोली मूल्यांकन: -

- a. वित्तीय बोली मूल्यांकन में एक निविदाकर्ता द्वारा प्राप्त कुल मूल्य को सफल निविदाकर्ता के चयन के लिए वेटेज का 70% आवंटित किया जाएगा।
- b. सबसे कम वित्तीय बोली मूल्य (L1) के साथ वैध निविदाकर्ता (उपरोक्त 3 में मानदंडों को पूरा करने वाला) को 70 (यानी 70% x 100) का मूल्य दिया जाएगा।
- c. अन्य निविदाकर्ता के वित्तीय बोली मूल्य की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

$$\text{FBv} = (\text{सबसे कम बोली मूल्य/उद्धृत बोली मूल्य}) \times 70$$

- d. वित्तीय बोली का मूल्य नीचे दिए गए चित्रों में दिया गया है

चित्रण -2:

यदि सबसे कम बोली लगाने वाले द्वारा उद्धृत मूल्य 50,00,000/- रुपये है, तो इसका वित्तीय बोली

$$\text{एफबीवी} = (50,00,000/50,00,000) \times 70 = 70$$

चित्रण-3:

यदि किसी निविदाकर्ता ने अपनी मूल्य बोली के रूप में 50,50,000/- का उद्धरण दिया है और न्यूनतम बोली मूल्य 50,00,000/- है तो उसका वित्तीय बोली मूल्य क्या है?

$$\text{FBv} = (50,00,000/50,50,000) \times 70 = 69.31 \text{ (दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित)}$$

5) सफल निविदाकर्ता का चयन:-

- a) सफल निविदाकर्ता के चयन के लिए, तकनीकी बोली के लिए 30 प्रतिशत और वित्तीय बोली के लिए 70 प्रतिशत महत्व दिया जाएगा, जिससे बोलियों के मूल्यांकन के लिए कुल 100 प्रतिशत वेटेज होगा।



b) रैंकिंग के लिए निविदाकर्ता का कुल मूल्यांकन मूल्य नीचे दिया जाएगा: -

चित्रण-4:

यदि चित्रण-1 और चित्रण-3 में निविदाकर्ता जिसका तकनीकी बोली मूल्य 21 है और वित्तीय बोली मूल्य 69.31 है, तो उसका कुल मूल्यांकन मूल्य क्या होगा?

$$TEv = TBv + FBv$$

$$TEv = 21 + 69.31 = 90.31$$

c) निविदाकार की रैंकिंग प्रत्येक निविदाकर्ता द्वारा प्राप्त कुल मूल्यांकन मूल्य (उच्चतम से निम्नतम) के आधार पर व्यवस्थित की जाएगी।

d) यह कार्य निविदाकर्ता को दिया जाएगा जिसे उच्चतम कुल मूल्यांकन मूल्य [तकनीकी बोली मूल्य तथा वित्तीय बोली मूल्य] प्राप्त होता है।

e) उच्चतम कुल मूल्यांकन मूल्य वाले निविदाकर्ता को सफल बोलीदाता (एल-आई) माना जाएगा।

f) यह संविदा सफल बोलीदाता को प्रदान किया जाएगा।

g) यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, जहां दो या दो से अधिक निविदाकर्ताओं का कुल मूल्यांकन मूल्य समान है, तो उस स्थिति में बैंक तकनीकी बोली मूल्यांकन में उच्च अंकों वाली फर्म को पहली वरीयता देगा। इसके अलावा, तकनीकी बोली मूल्यांकन में समान अंकों के मामले में; पिछले पांच वित्तीय वर्षों यानी वित्त वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 और 2025-26. में उच्च औसत वार्षिक कारोबार वाले निविदाकर्ता को वरीयता दी जाएगी।



भाग- I, खंड-V

नियम और शर्तें

(i) सामान्य नियम और शर्तें

1. निविदाकर्ता को आगंतुकों और स्टाफ सदस्यों के वाहनों को सूंघने के लिए **बैंक के मुख्य कार्यालय गेट पर दो प्रशिक्षित हैंडलरों के साथ दो विस्फोटक स्निफर कुत्तों** को तैनात करना होगा, ड्यूटी का समय सुबह 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक होगा। बैंक की आवश्यकता के आधार पर समय सामान्य ड्यूटी घंटों से परे/उससे पहले बढ़ाया जा सकता है। मानक ड्यूटी घंटे (सुबह 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक), बैंक की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं।
2. **सेवा घंटे** - ऊपर उल्लिखित कार्य घंटों के दौरान बैंक द्वारा आवश्यक होने पर कुत्तों को ड्यूटी के लिए उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा, स्निफर डॉग्स की सेवाओं का उपयोग बैंक की आवश्यकता के आधार पर किसी भी गैर-कार्य दिवस यानी शनिवार/रविवार/सार्वजनिक अवकाश पर किया जा सकता है। यदि आवश्यक महसूस किया जाए तो बैंक, बैंक के किसी भी परिसर में स्वच्छता कार्य के लिए कुत्तों का उपयोग करेगा। स्निफर डॉग्स की सेवाओं का उपयोग आवश्यकतानुसार बैंक के परिसर के भीतर और बाहर किया जा सकता है।
3. **आयु** - कुत्तों की आयु **6 वर्ष से कम होनी चाहिए** और उन्हें एक प्रमाणित पशु चिकित्सक द्वारा शारीरिक फिटनेस और घ्राण परीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाण पत्र हर छह महीने में बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. **समय-समय पर परीक्षण** - तैनात कुत्तों को निविदाकर्ता की कीमत पर सरकार/पुलिस बम डॉग स्क्वाड/रेलवे सुरक्षा बल द्वारा समय-समय पर परीक्षण जांच से गुजरना चाहिए। यह परीक्षण रिपोर्ट तैनाती से पहले और बाद में बिना किसी असफलता के छमाही अंतराल पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।
5. आवश्यक घ्राण परीक्षण प्रमाण पत्र के साथ-साथ कुत्ते के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को तैनाती से पहले बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और बाद में बिना किसी असफलता के अर्धवार्षिक अंतराल पर।
6. विस्फोटक का पता लगाने वाले कुत्ते को **हर छह महीने में पुनः प्रमाणन से गुजरना चाहिए**। वास्तविक विस्फोटक का पता लगाने में कुत्तों की निशानदेही अनिवार्य है।
7. विस्फोटक का पता लगाने वाले कुत्तों और संचालकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जाना चाहिए।
8. **पंजीकरण** - विस्फोटक का पता लगाने वाले कुत्तों को केनेल क्लब ऑफ इंडिया (केसीआई)/रॉयल केनेल क्लब ऑफ इंडिया (आरकेसीआई)/नेशनल केनेल क्लब ऑफ इंडिया (एनकेसीआई) के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
9. **प्रशिक्षण** - कुत्तों और संचालकों को शुरू में दो महीने के लिए प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और उसके बाद कुत्तों और संचालकों को हर छह महीने में पुनश्चर्या प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए और इस तरह के प्रशिक्षण के पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर बैंक को प्रशिक्षण के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
10. स्निफर डॉग्स को सभी प्रकार के निम्न और उच्च विस्फोटकों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जैसे अमोनियम/पोटेशियम नाइट्रेट, आरडीएक्स, टीएनटी बारूद, पीईके, पेंटाएरिथ्रोटिल ट्रिनाइट्रेट (पीईटीएन), ट्राइसीटोन ट्राइपर ऑक्साइड (टीएटीपी) आदि (सूची संपूर्ण नहीं बल्कि सांकेतिक है) और उनकी दक्षता को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए और प्रारंभिक तैनाती के साथ-साथ नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल और यथार्थवादी आश्चर्यजनक जांच के साथ जांच की जानी चाहिए।
11. **सिमुलेशन** - कुत्तों को नियमित रूप से प्रशिक्षण सहायता की मदद से मानव में छिपे विस्फोटक पदार्थ, वाहन के अंदर छिपे हुए आदि का पता लगाने के नकली अभ्यासों के माध्यम से रखा जाना चाहिए। निविदाकर्ता को इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान पर विधिवत प्रमाणित प्रशिक्षण किट प्रदान करनी होगी अन्यथा उन्हें संविदा दस्तावेज



में निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर खोजी कुत्तों और हैंडलर्स के प्रशिक्षण और परीक्षण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक परिसर में प्रशिक्षण किट लाने की व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक कुत्ते को हर महीने कम से कम एक अभ्यास खोज करने और उसके लिए उचित दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता होती है। अभ्यास तलाशी बैंक के सुरक्षा अधिकारी की उपस्थिति में की जानी है।

12. **ड्यूटी के घंटे** - स्निफर डॉग्स को प्रतिदिन बारह घंटे इस तरह से तैनात किया जाएगा कि प्रत्येक कुत्ता प्रति दिन छह घंटे ड्यूटी करता है। ड्यूटी का समय सोमवार से शनिवार तक सुबह 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक होगा। प्रत्येक कुत्ते को प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे, दो घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा और उसके बाद आरबीआई के मुख्य कार्यालय परिसर में रोटेशन के आधार पर दो घंटे का आराम किया जाएगा। इस प्रकार, किसी भी समय केवल एक कुत्ता ड्यूटी पर होगा। दूसरा बैंक द्वारा प्रदान किए गए डॉग केनेल में उपलब्ध होगा। हालांकि, सुबह की भीड़ के दौरान दोनों कुत्तों को ड्यूटी के लिए तैनात किया जा सकता है। आवश्यकता के आधार पर ड्यूटी के घंटे बारह घंटे से अधिक भी बढ़ सकते हैं।
13. **केनेल** - बैंक कार्यालय परिसर में कुत्तों के लिए केनेल/विश्राम स्थल प्रदान करेगा। कुत्तों को संवारना और बैंक के परिसर के अंदर केनेल/विश्राम स्थल और कूड़े की सफाई/रखरखाव, यदि कोई हो, दैनिक आधार पर निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी। बैंक द्वारा केनेल/विश्राम स्थल उपलब्ध कराने से किरायेदारी/लाइसेंसधारी का कोई संबंध नहीं बनेगा और निविदाकर्ता केनेल/विश्राम स्थल के खाली और शांतिपूर्ण कब्जे को बैंक को उसके साथ संविदा के समापन/समाप्ति पर सौंप देगा।
14. निविदाकर्ता अच्छी तरह से प्रशिक्षित डॉग हैंडलर प्रदान करेगा। हैंडलर अत्यधिक अनुशासित और अच्छे व्यवहार वाले होने चाहिए। ड्यूटी पर रहते हुए, हैंडलर हमेशा निविदाकर्ता द्वारा प्रदान की गई अधिकृत वर्दी में मौजूद रहेंगे। **बैंक और कॉलोनिनों के परिसरों में अस्वीकार्य व्यवहार/आचरण/कार्य/चूक की एक सांकेतिक सूची अनुलग्नक-VI में दी गई है।** यदि किसी भी सार्वजनिक शिकायत को हैंडलर के दुराचार/दुर्व्यवहार के कारण प्राप्त किया जाता है और बैंक द्वारा इसे सही माना जाता है, तो ऐसी प्रत्येक घटना के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और इसे ठेकेदार के बिल से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, घटना में शामिल पाए गए हैंडलर को परिसर से तुरंत हटा दिया जाएगा।
15. कुत्तों को भोजन और पानी और कुत्ते के संचालकों को भोजन/टिफिन/चाय/कॉफी प्रदान करना निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी। निविदाकर्ता को बैंक को पशु चिकित्सक द्वारा विधिवत प्रमाणित स्निफर कुत्तों का एक संतुलित आहार चार्ट प्रदान करना चाहिए, जिसे बैंक आवश्यकता पड़ने पर क्रॉस चेक करवा सकता है।
16. कुत्तों/हैंडलरों के लिए चिकित्सा आपातकालीन सहायता निविदाकर्ता द्वारा प्रदान की जाएगी। साथ ही कुत्तों को नियमित अंतराल पर पशु चिकित्सक से विधिवत प्रमाणित मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रदान करना होगा।
17. **चिकित्सा फिटनेस** - निविदाकर्ता तैनाती से पहले कुत्तों के साथ-साथ संचालकों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र और टीकाकरण रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा, जिसमें कहा जाएगा कि वे किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं जो उनके कुशल कामकाज में बाधा डालेगी और कुत्तों का टीकाकरण किया जाएगा।
18. निविदाकर्ता को अपने कार्यबल के लिए चिकित्सा परीक्षा (इस उद्देश्य के लिए तैनात की जानी चाहिए) को छमाही आधार पर करवाना चाहिए और बैंक को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा तैनात प्रशिक्षित डॉग हैंडलर किसी भी संचारी रोग से पीड़ित नहीं होने चाहिए। स्वास्थ्य जांच की लागत निविदाकर्ता द्वारा वहन की जानी है, न कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वहन की जाएगी।
19. बैंक किसी भी चोट या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो इस दौरान हो सकती है ड्यूटी के घंटे और कुत्तों/संचालकों को चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।
20. ऊपर बताई गई सर्विस के लिए टेंडरर द्वारा तैनात किए गए हैंडलर सभी मकसदों और मकसदों के लिए टेंडरर के



कर्मचारी होंगे और इस तरह तैनात किए गए लोग टेंडरर के कंट्रोल और सुपरविज़न में रहेंगे और किसी भी हालत में, उन लोगों और RBI, गुवाहाटी के बीच एम्प्लॉयर और कर्मचारी का रिश्ता अंदर या बाहर से नहीं बनेगा। यह टेंडरर की ज़िम्मेदारी होगी कि वह यह पक्का करे कि इस मामले में उसके द्वारा तैनात वर्कर के संबंध में RBI, गुवाहाटी पर कोई ज़िम्मेदारी न आए। टेंडरर तैनात किए गए लोगों से यह समझने का डिक्लेरेशन लेगा और यह भी अंडरटेकिंग लेगा कि वे RBI, गुवाहाटी के खिलाफ ऐसा कोई क्लेम नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, और यह डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग बैंक को जमा करेगा।

21. निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार तैनात किए गए हैंडलर अपने कर्तव्यों को अपने अधिकृत चार्टर तक सीमित रखेंगे। अपनी तैनाती के दौरान किसी भी समय वे बैंक के किसी भी स्टाफ सदस्य/बैंक में लगे संविदा कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार के वाणिज्यिक/क्रिड प्रो-को व्यापार/दबाव में संलग्न नहीं होंगे।
22. निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि तैनात किए गए हैंडलर अच्छे शिष्टाचार का प्रदर्शन करें, ठीक से तैयार हों, उनके पास अच्छा संचार कौशल, शिष्टाचार हो और पर्याप्त व्यक्तिगत स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखा जाए।
23. यदि संविदा के तहत तैनात हैंडलर में से कोई भी अनुपस्थित है, तो निविदाकर्ता द्वारा तुरंत समान मानक की एक स्थानापन्न व्यवस्था प्रदान की जाएगी। विकल्प का प्रावधान न करने की स्थिति में, बैंक अनुपस्थित कर्मियों की दैनिक मजदूरी की राशि के दोगुने के बराबर जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसे निविदाकर्ता के बिलों से काट लिया जाएगा।
24. यदि यह देखा जाता है कि हैंडलर काम के लिए रिपोर्ट करने में बार-बार देर करते हैं या अपना काम पूरा किए बिना और निर्धारित समय से पहले परिसर छोड़ देते हैं, तो बैंक स्वीकार्य दैनिक मजदूरी के बराबर राशि तक मौद्रिक जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
25. **टेंडर डॉग हैंडलर्स को पर्याप्त बैलेंस के साथ एक मोबाइल सेट प्रदान करेगा। बैंक इस संबंध में कोई लागत वहन नहीं करेगा।**
26. **क्रेडेंशियल्स** - निविदाकर्ता आरबीआई, गुवाहाटी के परिसर में तैनात डॉग हैंडलर्स की हालिया तस्वीर के साथ नाम, माता-पिता, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण प्रस्तुत करेगा। कार्य के लिए तैनात निविदाकार के कर्मचारियों की उचित पहचान के उद्देश्य से, यह उनकी तस्वीरों/पहचान आदि वाले पहचान पत्र जारी करेगा और ऐसे कर्मचारी ड्यूटी के समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।
27. **पुलिस सत्यापन** - निविदाकर्ताओं को उनके द्वारा लगाए गए डॉग हैंडलर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उनके पास हर साल डॉग हैंडलर (इस उद्देश्य के लिए तैनात किए जाने वाले) का पुलिस सत्यापन कराने की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और वे अपने आचरण/अनियमित व्यवहार के लिए जिम्मेदार होंगे। इस आशय का एक प्रमाण पत्र कि पुलिस सत्यापन किया गया है और निविदाकर्ता के पास उपलब्ध है और वे अपने डॉग हैंडलर के आचरण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, किसी भी नए डॉग हैंडलर को तैनात करने से पहले दिया जाना होगा। साथ ही, यदि आवश्यक हो तो उन्हें अपने डॉग हैंडलर्स के पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र बैंक को प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप मौद्रिक जुर्माना लगाया जा सकता है या संविदा या दोनों को रद्द किया जा सकता है।
28. निविदाकार किसी भी हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार होंगे, जो किसी भी कार्य या चूक के कारण होते हैं, उनकी ओर से या बैंक की संपत्ति के लिए अपने कर्मचारियों/एजेंटों/खोजी कुत्तों की ओर से होते हैं और बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई करेंगे। बैंक को इस तरह के नुकसान की मात्रा निर्धारित करने और निविदाकर्ता को देय राशि से राशि को उचित बनाने का अधिकार होगा।
29. बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान की स्थिति में, निविदाकर्ता की ओर से किसी भी चूक के परिणामस्वरूप, उक्त नुकसान का दावा निविदाकर्ता से नुकसान के मूल्य तक किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी का निर्णय अंतिम होगा और निविदाकर्ता के लिए बाध्यकारी होगा।



30. किसी भी मुकदमेबाजी या निविदाकर्ता के कर्मियों के किसी भी कार्य से उत्पन्न होने वाली कोई भी देयता सीधे निविदाकर्ता द्वारा वहन की जाएगी, जिसमें सभी खर्च/जुर्माना शामिल हैं। संबंधित निविदाकर्ता के कर्मचारी आवश्यकतानुसार अदालत में उपस्थित होंगे।
31. यदि श्रम प्राधिकारियों के किसी भी निर्देश या किसी भी श्रम कानून या विनियम के तहत किए गए दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप बैंक द्वारा भुगतान किए जाने के लिए कोई धन निदेशित किया जाएगा, तो ऐसी धनराशि निविदाकर्ता द्वारा बैंक को पंद्रह दिनों के भीतर देय मानी जाएगी। बैंक निविदाकर्ता को देय धन से कटौती करके निविदाकर्ता से इस राशि की वसूली करने का हकदार होगा।
32. बैंक संविदा की समाप्ति के बाद निविदाकर्ता के किसी भी कर्मचारी को रोजगार प्रदान करने के लिए किसी भी दायित्व के अधीन नहीं होगा। बैंक निविदाकर्ता के किसी भी कर्मचारी के साथ किसी भी कर्मचारी नियोक्ता संबंध को मान्यता नहीं देता है। यदि निविदाकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी कर्मचारी को रोजगार प्रदान करता है, तो इसकी सूचना तुरंत बैंक को दी जानी चाहिए और बैंक की अनुमति के बिना संबंधित व्यक्ति को किसी भी मामले में, संविदा में निर्धारित किसी भी कार्य क्षेत्र में तैनात नहीं किया जाएगा। यदि खंड का कोई उल्लंघन बैंक के ध्यान में आता है, तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा और निविदाकर्ता के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सकती है।
33. निविदाकर्ता किसी भी उप-निविदाकर्ता को शामिल नहीं करेगा या किसी भी तरह से किसी अन्य व्यक्ति को संविदा हस्तांतरित नहीं करेगा।
34. यदि भुगतान के बाद लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप निविदाकर्ता द्वारा किए गए किसी भी कार्य के संबंध में किसी भी अधिक भुगतान का पता चलता है या निविदा के तहत निविदाकर्ता द्वारा किए जाने का आरोप लगाया जाता है, तो इसे बैंक द्वारा निविदाकर्ता से वसूल किया जाएगा।
35. समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद संशोधन की आवश्यकता वाले संविदा के किसी भी प्रावधान की स्थिति में, इसे लिखित रूप में बनाया जाएगा और बैंक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसका प्रतिनिधित्व बैंक अपने अधिकृत अधिकारी और निविदाकर्ता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा। इस तरह के संशोधन तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा इस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं।
36. निविदाकर्ता बैंक द्वारा छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करेगा। खराब / खराब सेवा की स्थिति में, बैंक सफल निविदाकर्ता के साथ किए जाने वाले समझौते को तुरंत समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
37. यदि परिसर में तैनात हैंडलर छुट्टी पर जाता है, तो निविदाकर्ता बैंक को सूचित करते हुए अपनी लागत पर एक उपयुक्त राहत प्रदान करेगा।
38. हैंडलर यह सुनिश्चित करेगा कि तैनाती के दौरान कुत्ते किसी भी स्टाफ सदस्य/संविदा कर्मचारियों/आगंतुकों के साथ मित्रवत न हों। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुत्तों और कुत्ते को संभालने वालों के अलावा किसी भी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी तरह की थपथपाने, खिलाने या किसी भी तरह के इशारे की अनुमति नहीं दी जाएगी।
39. निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि स्निफर डॉग बैंक के किसी भी कर्मचारी या बैंक के किसी भी आगंतुक को न काटे। यदि कुत्ता किसी कर्मचारी/आगंतुक को काटता है, तो निविदाकर्ता पीड़ित को देय हर्जाने और/या मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा और बैंक इस मामले में सभी जिम्मेदारियों और देनदारियों से मुक्त हो जाएगा।
40. यदि निविदाकर्ता द्वारा इस प्रकार तैनात किया गया कोई भी हैंडलर सही तरीके से काम नहीं करता है या अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करता है या कदाचार करता है या किसी गैरकानूनी कार्य या अव्यवस्थित आचरण में लिप्त है, तो निविदाकर्ता तुरंत वापस ले लेगा और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, गुवाहाटी की रिपोर्ट पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, निविदाकर्ता उक्त व्यक्तियों की ओर से उपरोक्त कृत्यों के मामले में आरबीआई, गुवाहाटी की मांग पर इस प्रकार तैनात विशेष व्यक्ति को तुरंत बदल देगा।
41. यदि कुत्ता या हैंडलर बीमारी/खराब स्वास्थ्य/असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण ड्यूटी पर उपस्थित होने में असमर्थ



- है, तो निविदाकर्ता समान क्षमता और क्षमता वाले उपयुक्त विकल्प प्रदान करेगा। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदाकर्ता को देय राशि से वेतन में कटौती/जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
42. निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा तैनात हैंडलर आरबीआई, गुवाहाटी के नामित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित गेट पास के बिना आरबीआई परिसर से कोई भी संपत्ति नहीं ले जाएं।
43. निविदाकर्ता इस प्रकार तैनात अपने कर्मचारियों के किसी भी दंगे या अव्यवस्थित आचरण या कृत्यों को रोकने के लिए सभी उचित सावधानी बरतेंगे और शांति का संरक्षण और आरबीआई, गुवाहाटी के व्यक्तियों और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
44. निविदाकर्ता संविदा की समाप्ति पर या संविदा की समाप्ति पर आरबीआई, गुवाहाटी के परिसर से उसके द्वारा तैनात हैंडलर वाले सभी कुत्तों को हटा देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आरबीआई, गुवाहाटी में स्पष्ट रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान/बाधा/समस्या उत्पन्न न हो।
45. निविदाकर्ता का स्थानीय प्रतिनिधि हर समय गुवाहाटी में उपलब्ध होना चाहिए।
46. **परिसमापन क्षति**
- A. सेवाओं में कमी और बैंक और उसके अधिकारियों को होने वाली गंभीर असुविधा के लिए, संबंधित महीने के लिए अनुमानित बिल के 25% से अधिक नहीं होने वाले परिसमापन हर्जाना उद्ग्रहणीय हो सकते हैं। हालांकि, बैंक उचित सूचना देने के बाद ही इसे लेगा। विवाद के मामले में, क्षेत्रीय निदेशक के पास अपील की जा सकती है, जिसका निर्णय मामले में अंतिम होगा।
- B. बैंक निविदाकर्ता की ओर से गंभीर/बड़ी कमी के मामले में **संविदा** राशि के 10% तक परिसमापन हर्जाना लगाने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। **संविदा** राशि के 10% तक पहुंचने वाली परिसमापन क्षति की स्थिति में, बैंक **संविदा** को समाप्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है और निविदाकर्ता जोखिम और लागत के लिए उत्तरदायी होगा।
47. **जुर्माना** - संविदा की शर्तों के अनुसार सेवा प्रदान करने में विफलता, हैंडलर की स्वास्थ्य जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता, पुलिस सत्यापन, घ्राण परीक्षण और कुत्ते के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रति दिन 1500 रुपये की दर से मौद्रिक जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके दौरान विफलता/चूक जारी रहती है और इस प्रकार गणना की गई राशि निविदाकर्ता को देय राशि से वसूल की जाएगी। यदि इस प्रकार लगाया गया मौद्रिक जुर्माना रु. 45000/- से अधिक है, तो बैंक संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी के क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
48. **संविदा अवधि** - यदि संविदा प्रदान किया जाता है, तो शुरू में **07 (सात) महीने की अवधि के लिए वैध होगा यानी 01 सितंबर, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक वैध होगा।** बैंक पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर दो साल की अवधि (एक बार में एक वर्ष) के लिए संविदा की अवधि का विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालांकि, संविदा का विस्तार बैंक के विवेकाधिकार पर होगा और किसी भी स्थिति में कुल तीन साल से अधिक का संविदा प्रदान नहीं किया जाएगा।
49. **गलत या अपर्याप्त जानकारी वाले आवेदन** को ईएमडी की जब्ती के साथ-साथ अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। इसके अलावा, बैंक अपूर्ण निविदा फॉर्मों, या बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जहां निविदा फॉर्म को स्थानों पर खाली छोड़ दिया गया है या यदि प्रस्तुत की गई जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है।
50. **समझौता** - निविदाकर्ता, अपनी लागत पर, कार्य प्रदान करने के एक सप्ताह के भीतर संविदा के उचित प्रदर्शन के



लिए मौजूदा वैधानिक नियमों (राशि वैधानिक नियमों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है) के अनुसार ₹5,000/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक समझौते को निष्पादित करेगा।

51. यदि चयनित निविदाकर्ता संविदा के पुरस्कार से निर्धारित अवधि के भीतर औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने में विफल रहता है या नियत तारीख पर काम करने में विफल रहता है, तो आशय पत्र को रद्द माना जाएगा और निविदाकर्ता जोखिम और लागत के लिए उत्तरदायी होगा।
52. **सांविधिक भुगतान** - निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को मजदूरी और अन्य सभी बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा, जिसे वे समय-समय पर मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्र सरकार या अन्य संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित दर पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राप्त करने के हकदार हैं। निविदाकर्ता मजदूरी के भुगतान, मजदूरी से मजदूरी अवधि में कटौती, भुगतान नहीं की गई मजदूरी की वसूली और अनधिकृत रूप से की गई कटौती, मजदूरी पुस्तिका का रखरखाव, वेतन पर्ची, मजदूरी के पैमाने और रोजगार की शर्तों के प्रकाशन, निरीक्षण और संबंधित अधिकारियों को आवधिक रिटर्न प्रस्तुत करने के संबंध में समय-समय पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन करेगा या उनका अनुपालन करेगा। निविदाकार को समय-समय पर मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्र सरकार या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना चाहिए और बैंक के परिसर में तैनात व्यक्तियों / संचालकों के लिए न्यूनतम मजदूरी के भुगतान पर **मासिक अनुपालन प्रमाण पत्र** (भुगतान किए गए मजदूरी के विवरण के साथ) प्रस्तुत करना चाहिए और पिछले महीने के लिए वैधानिक भुगतान करने के लिए भी। यह चयनित निविदाकर्ता के बिल के प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण बाध्यकारी शर्त है।
53. निविदाकर्ता को कारखाना अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, ईएसआई अधिनियम 1948, कामगार प्रतिकर अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, बोनस संदाय अधिनियम, 1965, उपदान संदाय अधिनियम, 1965 के उपबंधों का अनुपालन करना होगा। (ख) वर्ष 1972 और समय-समय पर ठेका कामगारों पर लागू होने वाले किसी अन्य कानून और नियमों के अधीन बनाए गए नियम और नियम। निविदाकर्ता रजिस्टर और रिकॉर्ड प्रस्तुत करेगा और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के लिए बैंक द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देशों का पालन करेगा।
54. **डॉंग हैंडलर के लिए बीमा:** ठेकेदार अपने स्वयं के खर्च पर, एक अनुमोदित बीमा कंपनी के साथ पूरे संविदा को लागू करने और बनाए रखने की व्यवस्था करेगा, बैंक के संयुक्त नाम में निम्नलिखित बीमा पॉलिसी और बैंक के साथ खुद को पहले (प्रिसिपल) होने के साथ और इस संविदा की मुद्रा के दौरान समय से बैंक के साथ ऐसी पॉलिसी या पॉलिसी जमा करेगा।
 - क) ठेकेदारों के लिए मानक सभी जोखिम नीति के अनुसार सभी जोखिम
 - ख) साइट पर तैनात सभी हैंडलरों के लिए कामगार मुआवजा नीति
 - ग) निम्नलिखित विवरण के अनुसार तृतीय पक्ष देयता नीति:
 - व्यक्तियों को घायल होने के लिए – ₹2.00 लाख प्रति व्यक्ति प्रति दुर्घटना।
 - संपत्ति के नुकसान के लिए – ₹5.00 लाख प्रति दुर्घटना।

मौजूदा बीमा दिशा-निर्देशों के अनुसार समग्र सीमा के अधधीन।

नोट: ये नीतियां काम पूरा होने तक वैध रहेंगी। यदि ठेकेदार इन नीतियों को प्रदान नहीं करता है (कार्य आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर), तो बैंक प्रति दिन ₹1000 का मौद्रिक जुर्माना भी लगा सकता है। बैंक उपरोक्त बीमा पॉलिसियों को स्वयं लेने और ठेकेदार के बिल से उसकी लागत वसूलने का अधिकार सुरक्षित रखता है



55. निविदाकर्ता को पिछले महीने के चालान के साथ हर महीने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि बैंक में तैनात सभी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान सभी सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करते हुए किया गया है और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार किया गया है। इस प्रमाण पत्र के बिना, बिल का भुगतान रोका जा सकता है और संसाधित नहीं किया जाएगा।
56. बैंक में ठेका कार्य निष्पादित करने के लिए निविदाकर्ता द्वारा तैनात श्रमिकों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों को पीएफ (नियोक्ता और कर्मचारी) और ईएसआई के सांविधिक अंशदान के प्रेषण का प्रमाण, निविदाकर्ता द्वारा दावा बिल के साथ हर महीने बैंक को प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें विफल रहने पर दावा बिल का निपटान नहीं किया जाएगा।
57. **भुगतान की शर्तें** - निविदाकर्ता को बिल का भुगतान आम तौर पर बैंक द्वारा बिल प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक द्वारा किया जाएगा, जो सभी आवश्यक दस्तावेजों को जमा करने के अधीन है। हालांकि, यदि किसी भी कारण से 45 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो इसे तुरंत बैंक के ध्यान में लाया जा सकता है।
58. भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी निविदाकर्ता को देय राशि से स्रोत पर कर और अन्य सभी करों, समय-समय पर लागू शुल्कों की कटौती करेगा और निविदाकर्ता को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।
59. निविदाकर्ता सक्षम सरकारी अधिकारियों से पंजीकरण/लाइसेंस का लागू प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। वे पशु सुरक्षा और जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम से संबंधित सभी कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। यह निविदाकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह बैंक के परिसर में स्निफर डॉग की तैनाती के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित लाइसेंस/अनुमति, यदि कोई हो, प्राप्त करे। आरबीआई किसी भी प्रचलित कानून के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
60. चयनित निविदाकर्ता के साथ समझौता निविदाकर्ता के दिवालिया होने या उसके लेनदारों के साथ किसी भी व्यवस्था/समझौते में प्रवेश करने की स्थिति में समाप्त हो जाएगा।
61. निविदाकर्ताओं के चयन पर निर्णय लेते समय, अच्छी सेवा प्रदान करने की क्षमता और क्षमता पर जोर दिया जाएगा।
62. निविदा आवेदन पत्र पर निविदाकर्ता की ओर से एक व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जो ऐसा करने के लिए विधिवत अधिकृत है।
63. **गैर-प्रकटीकरण खंड:** निविदाकर्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस समझौते के संबंध में संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान निविदाकर्ता के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। निविदाकर्ता संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर। निविदाकर्ता बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पत्र या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। निविदाकर्ता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को निविदाकर्ता की ओर से संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में निविदाकर्ता के दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।
64. **अप्रत्याशित घटना:** इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा यदि इस तरह की देरी अपने उचित नियंत्रण से परे



परिस्थितियों के कारण होती है (जिसमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कार्यों, ईश्वर के कार्यों, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाओं, हड़ताल, किसी भी क्षेत्र में दंगों के कारण होने वाली किसी भी देरी सहित) शामिल है, नेटवर्क विफलता, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित) पर प्रावधान है कि निविदाकर्ता के आपूर्तिकर्ता द्वारा इस प्रकार की देरी करने से उस निविदाकर्ता को विलंब के दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकेगा, सिवाय इसके कि जहां ऐसा विलंब संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर है।

65. **समाप्ति -**

- A. यहां ऊपर जो कुछ भी निहित है, उसके पूर्वाग्रह के बिना, बैंक अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर, बिना किसी कारण बताए और किसी भी मुआवजे के भुगतान के बिना 30 दिनों की लिखित सूचना द्वारा समझौते को समाप्त करने का हकदार होगा, यदि बैंक की राय में, जिसे चयनित बोलीदाता द्वारा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा और चयनित बोलीदाता पर बाध्यकारी होगा, चयनित बोलीदाता बैंक की संतुष्टि के लिए समझौते को लागू करने में विफल रहता है या अस्वीकार करता है और/या चयनित बोलीदाता उक्त समझौते के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है
- B. **और/या**
किसी भी कारण से, चुना गया बिडर उस एग्रीमेंट के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कानूनी तौर पर अयोग्य हो जाता है।
- C. **और/या**
इस तरह के परिवर्तन के लिए बैंक के लिखित अनुमोदन के बिना चयनित बोलीदाता या उसके व्यवसाय के स्वामित्व/साझेदारी या प्रबंधन में कोई भिन्नता है।

66. **कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का अनुपालन**

- A. निविदाकर्ता "कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत निविदाकर्ता द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और निविदाकर्ता शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। यदि निविदाकर्ता ने आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया है, तो शिकायत सरकार द्वारा गठित स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी।
- B. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ निविदाकर्ता के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- C. निविदाकर्ता किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे निविदाकर्ता के कर्मचारियों को शामिल करने की स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि निविदाकर्ता के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है। निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- D. निविदाकर्ता अपने कर्मचारियों की एक पूरी और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो सहायक दस्तावेजों के साथ बैंक के परिसर में तैनात हैं।
67. निविदाकर्ता बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा



और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा।

68. निविदाकार बैंक द्वारा भुगतान जारी होने की प्रतीक्षा किए बिना अगले महीने की 7 तारीख तक अपने कर्मचारियों को मजदूरी आदि का भुगतान करेगा और समझौते के तहत काम के लिए उसके द्वारा तैनात व्यक्तियों को सभी बकाया राशि का भुगतान करने के प्रमाण के रूप में आरबीआई, गुवाहाटी को वेतन रजिस्टर/मस्टर रोल आदि की प्रतियां प्रस्तुत करेगा। यह दायित्व निविदाकर्ता पर यह सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है कि वह ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुसार तैनात अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। निविदाकर्ता को अपने स्वयं के खर्च पर ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों और समय-समय पर सरकार द्वारा उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करना चाहिए।
69. निविदाकर्ता ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के वैधानिक प्रावधानों का पालन करेगा; कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम; कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; कर्मचारी भविष्य निधि (और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938; बच्चों का रोजगार अधिनियम 1938; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और/या कोई अन्य नियम/विनियम और/या कानून जो उन पर लागू हो सकते हैं। निविदाकर्ता उपर्युक्त विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और आरबीआई, गुवाहाटी को उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का पालन न करने से उत्पन्न होने वाली चूक, गलती, उल्लंघनों और/या किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय के सभी कृत्यों से क्षतिपूर्ति करेगा। निविदाकर्ता द्वारा इसके तहत और/या उक्त अधिनियमों, नियमों/विनियमों/या उसके तहत बनाए गए किसी भी उप-नियमों या नियमों के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में विफलता के मामले में, भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी ऐसे किसी भी नुकसान या व्यय की वसूली करने का हकदार होगा, जो उसे ऐसे दावों, मांग के कारण भुगतान पड़ सकता है या वहन करना पड़ सकता है। निविदाकार के मासिक भुगतान से इस तरह की विफलता के कारण हानि या चोट और निविदाकर्ता इस तरह के विनियोग/समायोजन पर आपत्ति नहीं करेगा।
70. निविदाकर्ता द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों सहित श्रम कानूनों के किसी उपबंध में चूक अथवा उल्लंघन करने या उक्त अधिनियमों, विनियमों और उसके अधीन नियमों के उपबंधों के अधीन कोई विवरण प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करने की स्थिति में, जो कि भौतिक रूप से गलत है, वह किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी के क्षेत्रीय निदेशक, को भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी द्वारा दावा की जा सकने वाली राशि का भुगतान करेगा, बशर्ते कि इस प्रकार दावा की गई राशि निविदाकर्ता द्वारा किए गए चूक/उल्लंघन के समानुपाती होगी।
71. निविदाकर्ता आरबीआई, गुवाहाटी को निविदाकर्ता द्वारा तैनात व्यक्तियों/खोजी कुत्तों के संबंध में सभी दावों के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा। यदि इस प्रकार तैनात निविदाकर्ता का कोई कर्मचारी/व्यक्ति किसी भी प्रकार के विवाद में प्रवेश करता है, तो इसे चुनौती देना निविदाकर्ता की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी को पक्षकार बनाया जाता है और उसे मामला लड़ना होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी को परामर्शदाता शुल्क और अन्य खर्चों के लिए किए गए वास्तविक खर्चों की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसका भुगतान निविदाकर्ता द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी को मांग पर अग्रिम रूप से किया जाएगा और बैंक निविदाकर्ता को देय राशि में से राशि को विनियोजित करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, निविदाकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी प्रकार के इस संबंध में आरबीआई, गुवाहाटी पर कोई वित्तीय या कोई अन्य दायित्व नहीं आता है और इस संबंध में आरबीआई, गुवाहाटी को क्षतिपूर्ति के लिए रखा जाएगा।



72. निविदाकर्ता समझता है कि वह निविदा दस्तावेजों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और बैंक से अनुमोदन पत्र प्राप्त होने पर तुरंत कार्य निष्पादित करने की स्थिति में है। बैंक से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने पर, निविदाकर्ता बैंक से पत्र प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर और कार्य के अंतिम पुरस्कार से पहले आवश्यक संख्या में योग्य स्निफर कुत्तों और कुत्ते के हैंडलर का उत्पादन करने के लिए बाध्य होगा। इस प्रकार तैयार किए गए स्निफर डॉग्स और डॉग हैंडलर्स को निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। यदि कोई भी स्निफर डॉग या डॉग हैंडलर तैनाती के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो निविदाकर्ता स्थानापन्न व्यवस्था की व्यवस्था करेगा और उसी दिन ऐसे स्निफर डॉग / डॉग हैंडलर का उत्पादन करेगा। निविदाकर्ता द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की जानी चाहिए कि केवल सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने से कार्य प्रदान करने की गारंटी नहीं मिलती है, बैंक की संतुष्टि पर कार्य अंतिम रूप से प्रदान किया जाएगा कि निविदाकर्ता निविदा की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में है/होगा। यदि निविदाकर्ता संविदा प्रदान करने पर कार्य शुरू करने में विफल रहता है, तो बैंक सैद्धांतिक अनुमोदन को वापस लेने और निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत ईएमडी राशि को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, निविदाकर्ता भी जोखिम और लागत के लिए उत्तरदायी होगा। बैंक इस तरह के चूक करने वाले निविदाकर्ता को तीन साल की अवधि के लिए बैंक में किसी भी भविष्य के संविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का अपना अधिकार भी सुरक्षित रखता है, हालांकि, ऐसा करने से पहले बैंक निविदाकर्ता को सात दिनों का कारण बताओ नोटिस (एससीएन) दे सकता है और निविदाकर्ता द्वारा इस तरह के नोटिस के लिए दिए गए उत्तर पर विचार कर सकता है।

73. औचक निरीक्षण/जांच

बैंक अपने किसी भी अधिकारी को बैंक के परिसर में तैनात स्निफर कुत्तों और संचालकों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए निविदाकर्ता के साथ या उसके बिना एक औचक जांच करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

74. **सत्यनिष्ठा खंड:** बैंक की तरफ से वादा (a) ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मांगना या लेना, जो कानूनी तौर पर उपलब्ध न हो (b) सभी बिडर्स के साथ बराबरी और समझदारी से पेश आना; बिडर्स की तरफ से वादा (a) कीमतों, स्पेसिफिकेशन्स, सर्टिफिकेशन्स, सब्सिडियरी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के बारे में दूसरे बिडर्स को कोई फ़ायदा या समझ नहीं देना (b) बिज़नेस रिलेशनशिप के तौर पर बैंक द्वारा दी गई कोई भी जानकारी दूसरों को नहीं देना और PC/IPC एक्ट के तहत कोई जुर्म नहीं करना (c) एजेंट्स/ब्रोकर्स या किसी दूसरे बिचौलिए को उनके द्वारा किए जाने वाले पेमेंट्स का खुलासा करना (d) किसी दूसरी कंपनी के साथ किसी भी ऐसे उल्लंघन का खुलासा करना जो एंटी-करप्शन प्रिंसिपल पर असर डाल सकता है (e) विदेशी बिडर्स भारत में एजेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम और पता बताएं और भारतीय बिडर्स अपने विदेशी प्रिंसिपल्स या एसोसिएट्स का खुलासा करें।

(ii) वित्तीय बोली:

1. ई-निविदा की भाग- II वित्तीय बोली में केवल सेवा प्रदाता की उद्धृत दरें होनी चाहिए।

2. बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क कुल शुल्क के 3 % के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। सेवा शुल्क में बीमा शुल्क, समान शुल्क, उपकरणों की लागत या लागू होने वाले किसी भी अन्य खर्च को शामिल किया जाना चाहिए। कुल प्रभारों के 3 % से कम सेवा शुल्क का उल्लेख करने वाले बोलीदाताओं की निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।

3. **ठेकेदार का लाभ:** निविदाकर्ताओं को कुल जनशक्ति शुल्क के 15% पर अपने लाभ प्रतिशत को उद्धृत करने की अनुमति है।

4. मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केंद्र सरकार की 30 मार्च, 2026 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी जैसे वैधानिक दायित्वों के अनुरूप वित्तीय बोलियां अस्वीकार की जा सकती हैं।



5. वित्तीय बोली में उद्धृत सेवा शुल्क संविदा की पूरी अवधि के दौरान निर्धारित रहेगा। बैंक किसी भी परिस्थिति में संविदा की अवधि के दौरान सेवा प्रभागों में संशोधन के लिए ठेकेदार के दावे पर विचार नहीं करेगा।

6. मूल्य बोली की गणना करते समय, निविदाकर्ता को भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय, नई दिल्ली अधिसूचना दिनांक **30 मार्च, 2026** द्वारा अधिसूचित सभी वेतन घटकों को शामिल करना चाहिए और अन्य अनिवार्य शुल्क यानी ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, बोनस, रिलिवर शुल्क, समान शुल्क आदि संबंधित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

7. गणना "वॉच एंड वार्ड (बिना हथियारों के)" के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी के अनुसार की जा सकती है। **गुवाहाटी को वर्तमान में क्षेत्र "बी" में रखा गया है।**

8. वित्तीय बोली में उद्धृत सेवा शुल्क अंतिम होगा और संविदा की अवधि के दौरान किसी भी बहाने से नहीं बढ़ाया जाएगा। तथापि, मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित मजदूरी में भविष्य में संशोधन (यथा भी मामला वृद्धि या कमी) के मामले में, यदि कोई हो, तो मजदूरी घटक को केवल तभी संशोधित किया जाएगा जब बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत मजदूरी से अधिक हो। **संविदा की अवधि के दौरान सेवा शुल्क और अन्य दरें अपरिवर्तित रहेंगी।**

9. निविदा की मूल्य बोली का मूल्यांकन बोलीदाता द्वारा उद्धृत 'कार्य की कुल लागत' के आधार पर किया जाएगा।

10. उद्धृत दरों में न्यूनतम मजदूरी (जैसा कि मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, केन्द्र सरकार की अधिसूचना 30 मार्च, 2026 द्वारा अधिसूचित) ईएसआई, ईपीएफ योगदान, राहत शुल्क, बोनस, आदि जैसी वैधानिक देनदारियां शामिल होंगी। इस संबंध में केन्द्र सरकार के सभी कानूनों/दिशानिर्देशों का समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।

11. सभी सांविधिक कटौतियां, जैसा लागू हो, एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म द्वारा बैंक को प्रस्तुत बिलों से की जाएंगी।

12. सेवा शुल्क में प्रबंधकीय शुल्क, व्यवसाय चलाने के लिए प्रशासनिक शुल्क, श्रमिकों को सुविधाएं, आकस्मिक शुल्क, टेलीफोन शुल्क, स्टेशनरी या मुद्रण शुल्क, पहचान पत्र, बोलीदाता के लाभ और एजेंसी/ठेकेदार/कंपनी/फर्म द्वारा उनके द्वारा तैनात कर्मियों को प्रदान किए गए अन्य शुल्क शामिल होंगे।

(iii) **बोली की मुद्रा:**

1) बोली की कीमतें केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएंगी। इन कीमतों में काम से जुड़ी सभी लागतें शामिल होनी चाहिए, जिनमें कोई भी आउट-ऑफ-पॉकेट/मोबिलाइजेशन खर्च, उपकरण, श्रमिकों की वर्दी, निविदा में उल्लिखित अन्य सभी लॉजिस्टिक, सभी कर (जीएसटी को छोड़कर), शुल्क, लेवी, उपकर, बीमा, परिवहन, प्रवेश कर, श्रम, अन्य सरकारी कर, केन्द्र सरकार की न्यूनतम मजदूरी और ईपीएफ/ईएसआई योगदान आदि शामिल हैं, जैसा कि नियमों के अनुसार लागू होता है।



2) कीमत को मूल्य अनुसूची के अनुरूप सख्ती से उद्धृत किया जाना चाहिए, किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना चाहिए।

3) निविदाकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय बोली के सभी कॉलम विधिवत भरे गए हैं, और कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा गया है। भाग-II वित्तीय बोली खोलने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

4) यदि भाग- II वित्तीय बोली का कोई कॉलम खाली पाया जाता है, तो संबंधित निविदाकर्ताओं की निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा और बैंक द्वारा सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा और आगे ईएमडी को जब्त किया जा सकता है। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो बैंक इस मामले में निविदा खंड के अनुसार समीक्षा भी कर सकता है।

(iv) **बोली-पूर्व बैठक :** इच्छुक निविदाकर्ताओं की एक ऑफलाइन बोली-पूर्व बैठक **23 जून , 2026 को 11:00 बजे** वीडियो कॉन्फ्रेंस रूम, चौथी मंजिल, भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी। बैंक निविदा के संबंध में बोलीदाताओं द्वारा उठाए गए किसी भी बिंदु/संदेह को स्पष्ट करेगा। इस बैठक के लिए अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। इस बैठक के दौरान निविदाकर्ताओं से अपने सभी मुद्दों/शंकाओं का स्पष्टीकरण मिलने की उम्मीद है।

(v) **साइट का दौरा:** - बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वह साइट की स्थिति से परिचित हो ले।

(vi) **सिफारिश :** - बोली की स्वीकृति को प्रभावित करने की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी लाभ या किसी अन्य प्रलोभन का प्रचार या पेशकश करना भारत के कानूनों के तहत अपराध होगा। इस तरह की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अन्य दंडात्मक उपायों के अलावा, बोली की अस्वीकृति होगी।

(vii) ई-टेंडर जमा करने से पहले, निविदाकर्ता को इस ई-निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों को देखना चाहिए, जिसके आधार पर बैंक द्वारा कार्य प्रदान किया जाएगा और सफल बोलीदाता द्वारा निष्पादित किया जाना आवश्यक है। निविदाकर्ता उसमें निर्धारित पात्रता और मूल्यांकन (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) मानदंडों के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर सकता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यहां निर्दिष्ट नियम और शर्तें संपूर्ण नहीं हैं और यह बैंक को सफल निविदाकर्ता के साथ समझौते को निष्पादित करते समय इस तरह के आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने के लिए बोलीदाता को लागू करने या आवश्यक करने से नहीं रोकेगा, या यहां निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने के लिए, इस निविदा के तहत दिए जाने वाले कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाता है। स्टाम्प पेपर समझौते को डुप्लिकेट में निष्पादित किया जाएगा, और बैंक मूल को बनाए रखेगा और एजेंसी / ठेकेदार / कंपनी / फर्म डुप्लिकेट को बनाए रखेगी।

(viii) गलत जानकारी देने/जानकारी छिपाने पर निविदा देने वाले को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा या संविदा को निरस्त कर दिया जाएगा, भले ही काम मिल गया हो और संविदा चल रही हो।

(ix) साझेदारी फर्मों के मामले में, एक फर्म की ओर से प्रस्तुत ई-निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों या एक भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसके पास प्रस्तावित संविदा में प्रवेश करने के लिए फर्म की ओर से आवश्यक अधिकार है, जिसमें विफल रहने पर ई-निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा।



(x) निविदाकर्ताओं के हितों का कोई टकराव नहीं होगा। निविदाकर्ताओं को हितों का टकराव पाया जाता है, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, उन्हें ई-निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

१) निविदाकर्ता दो अलग-अलग आवेदन जमा करते हैं और शेयरधारकों को नियंत्रित करते हैं।

२) निविदाकर्ता (उनके कर्मियों और उप-ठेकेदारों सहित) जिनका बैंक के ऐसे सदस्यों के साथ पारिवारिक संबंध है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संविदा में शामिल हैं, उन्हें ठेका नहीं दिया जाएगा।

(xi) **जोखिम और लागत खंड:** - किसी अन्य खंड में निहित किसी भी बात के बावजूद, बैंक संविदा के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करने में ठेकेदार की ओर से किसी भी विफलता के कारण या दिवालिया होने या परिसमापन में जाने की स्थिति में संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ठेकेदार की ओर से विफलता के बारे में बैंक का निर्णय अंतिम और ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा। यदि किसी भी कारण से प्रचालन के किसी क्षेत्र में सेवा का कोई ठहराव होता है, तो ठेकेदार बैंक द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। ठेकेदार की ओर से किसी भी विफलता की स्थिति में, बैंक को बिना किसी पूर्वाग्रह के, ठेकेदार के जोखिम और लागत पर किसी अन्य वैकल्पिक एजेंसी के माध्यम से काम करने का अधिकार होगा। बैंक द्वारा की गई अतिरिक्त लागत, हानि, यदि कोई हो, की वसूली ठेकेदार को देय राशि से या सुरक्षा जमा से की जाएगी और ठेकेदार को ऐसी वसूली पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

(xii) **निविदा का उद्घाटन:** -

i) भाग- I तकनीकी बोली 08 जुलाई, 2026 को 11:00 बजे आरबीआई, गुवाहाटी में खोली जाएगी। उन निविदाकर्ताओं की बोलियां जिन्होंने इस ई-निविदा के पात्रता मानदंड और नियमों और शर्तों में निर्धारित एक या अधिक शर्तों का अनुपालन नहीं किया है, उन्हें सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है।

2) केवल उन निविदाकर्ताओं की भाग- II वित्तीय बोली, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और तकनीकी बोली मूल्यांकन में न्यूनतम 40 और उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, बाद की तारीख को खोली जाएगी, जिसके लिए योग्य निविदाकर्ताओं को सूचना दी जाएगी।

3) भाग- I (तकनीकी बोली) और भाग- II (वित्तीय बोली) दोनों में निविदाकर्ताओं द्वारा कोई विचलन/शर्तें निर्धारित नहीं की जाएंगी और सशर्त बोलियों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4) बैंक बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी निविदा भागों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इसका निर्णय अंतिम होगा और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

5) इस संबंध में निर्णय बैंक के विवेकाधिकार पर होगा।

(xiii) **बयाना धन जमा (ईएमडी):** - ₹26,000/- (छब्बीस हजार रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा (EMD) 05 जुलाई, 2026 तक 17:00 बजे तक NEFT के रूप में जमा करनी होगी। ईएमडी राशि केवल एनईएफटी के माध्यम से हस्तांतरित की जानी है (खाते का विवरण ऊपर दिया गया है)। इस शर्त का पालन करने में विफलता निविदा को शून्य कर देगी और निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईएमडी की राशि सभी निविदाकर्ताओं को वापस कर दी जाएगी। इस जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।



(xiv) **निविदाओं की वैधता की अवधि:**

- 1) निविदा वैधता अवधि निविदा खोलने की तारीख से नब्बे (90) दिन होगी।
- 2) असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, बैंक निविदाकर्ताओं से अनुरोध कर सकता है कि वे अपनी निविदा की वैधता की अवधि का विस्तार करें। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में की जाएंगी।

(xv) **निविदाएं जमा करना:**

- 1) निविदाकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं जमा करनी होंगी और ई-निविदा के संबंध में निर्देशों में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक निविदा जमा करने की प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
- 2) निविदाकर्ता अपनी भाग II - वित्तीय बोली केवल ऑनलाइन पोर्टल में जमा करेंगे। निविदा दस्तावेज में वित्तीय बोली केवल उदाहरण के लिए है। निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां पोर्टल में अपलोड की जाएंगी। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा निर्धारित समय और तारीख पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।
- 3) यदि वांछित / निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

(xvi) **निविदाएं जमा करने की अंतिम तिथि**

- 1) निविदाएं इस दस्तावेज में उल्लिखित ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज में इंगित तिथि और समय के बाद नहीं।
- 2) बैंक, अपने विवेक पर, निविदा दस्तावेज में संशोधन करके ई-निविदाएं जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

(xvii) **देर से निविदाएं** - ई-पोर्टल पर समय सीमा के बाद कोई निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xviii) **बोली मूल्यांकन मानदंड**

तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन एमएसटीसी पोर्टल पर बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा।

(नोट: निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी, जो आधिकारिक रूप से ऐसी प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जब तक कि सभी निविदाकर्ताओं को संविदा आवंटन की सूचना नहीं दी जाती है)

(xix) **निविदाओं का स्पष्टीकरण**

- 1) निविदाकर्ताओं की परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और योग्यता में सहायता करने के लिए, बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी निविदाकर्ता से अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि करने के अलावा, निविदा की कीमतों या पदार्थ में कोई बदलाव की मांग नहीं की जाएगी, पेशकश की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 2) यदि कोई निविदाकर्ता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार कर दी जाएगी।

(xx) **संविदा प्रदान किया जाना**

- 1) बैंक इस निविदा के सभी नियमों और शर्तों की पूर्ति के अनुसार सफल मूल्यांकन किए गए बोलीदाता को संविदा प्रदान करेगा। सफल निविदाकर्ता कार्य सौंपने के 14 दिनों के भीतर कम से कम ₹5,000/- मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर बैंक के साथ एक समझौते को निष्पादित करेगा। स्टॉप शुल्क का भुगतान सफल निविदाकर्ता द्वारा किया जाएगा। हालांकि, बैंक द्वारा कार्य प्रदान करने की सूचना के मुद्दे को बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि इस तरह के एक समझौते को निष्पादित किया गया है और सभी नियम और शर्तें इस संविदा पर लागू होंगी।



- 2) बैंक "प्रस्ताव पत्र" के माध्यम से निर्णय की सूचना देगा।
- 3) सफल बोलीदाता को प्रस्ताव पत्र जारी होने की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर एक संविदा निष्पादित करने की आवश्यकता होगी।
- 4) सफल बोलीदाता को क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, गुवाहाटी के पक्ष में अनुमानित लागत के 5% के बराबर राशि के लिए "प्रस्ताव -पत्र" प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर एक प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी।
- 5) अनुमानित लागत के 5% के बराबर राशि की प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने या निर्धारित समय के भीतर संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए सफल निविदाकर्ता की विफलता पुरस्कार को रद्द करने, ईएमडी को जब्त करने और ऐसे निविदाकर्ता को काली सूची में डालने के लिए पर्याप्त आधार बनाएगी।
- 6) प्रदर्शन बैंक गारंटी सभी संविदात्मक दायित्वों के पूरा होने की तारीख से परे साठ (60) दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी। संविदा अवधि के पूरा होने के साठ (60) दिनों के बाद पीबीजी को संविदा के सफल समापन से संतुष्ट होने और सफल निविदाकर्ता या उसके कर्मचारियों से कोई देनदारी नहीं होने के बाद ही बिना ब्याज के जारी किया जाएगा। किसी भी शिकायत या लंबित बकाया के मामले में, प्रदर्शन बैंक गारंटी को सुरक्षा जमा के रूप में माना जाएगा और सभी बकाया, देनदारियों आदि को समायोजित करने के बाद ही इसका निर्वहन किया जाएगा।
- 7) यदि संविदा की अवधि को और बढ़ाया जाता है, तो सफल बोलीदाता द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी की वैधता भी तदनुसार बढ़ाई जाएगी।
- 8) पीबीजी जमा करने में देरी होने पर, विलंब के लिए शुल्क सफल निविदाकर्ता के बिलों से बैंक दर पर वसूला जाएगा।
- 9) सफल बोलीदाता निर्धारित प्रोफार्मा में पर्यवेक्षक सहित कर्मियों की संख्या का उल्लेख करेगा, जो कार्य के सुचारू निष्पादन के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर तैनात करने का प्रस्ताव करता है।
- 10) सफल बोलीदाता सफाई उपकरणों, प्रमुख उपकरणों की सूची का उल्लेख करेगा जो वह उपयोग करने का प्रस्ताव करता है और काम के सुचारू निष्पादन के लिए आवश्यक सफाई सामग्री का उल्लेख करेगा।

(xxi) **मध्यस्थता**

- 1) संविदा (बैंक और निविदाकर्ता के बीच प्रवेश करने के लिए) से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित किसी भी विवाद और/या अंतर को संबंधित पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों की संयुक्त चर्चा के माध्यम से हल किया जाएगा। हालांकि, यदि विवादों को संयुक्त चर्चा द्वारा हल नहीं किया जाता है, तो मामले को क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, गुवाहाटी द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को निर्णय के लिए भेजा जाएगा।
- 2) एकमात्र मध्यस्थ का पुरस्कार अंतिम होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।
- 3) मध्यस्थता की लागत संबंधित पक्षों द्वारा समान अनुपात में वहन की जाएगी। मध्यस्थता कार्यवाही और संविदा की मुद्रा के लंबित रहने के दौरान, कोई भी पक्ष उस कार्य/सेवा को निलंबित करने का हकदार नहीं होगा जिससे विवाद मध्यस्थता के कारण संबंधित है और निविदाकर्ता को भुगतान संविदा के संदर्भ में किया जाता रहेगा।
- 4) समझौता (बैंक और निविदाकर्ता के बीच किया जाना है) असम में माननीय गौहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

(xxii) **अस्वीकरण**

- 1) हालांकि इस दस्तावेज को तैयार करते समय पर्याप्त ध्यान रखा गया है, निविदाकर्ता खुद को संतुष्ट करेंगे कि दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है।
- 2) बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नक सहित इस दस्तावेज को संशोधित करने, संशोधित करने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



3) जबकि यह दस्तावेज़ अच्छे विश्वास में तैयार किया गया है, न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सलाहकार किसी भी बयान या चूक के संबंध में, या जानकारी की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को स्वीकार करते हैं, जो भी हो, और किसी भी कानून के तहत कोई दायित्व नहीं होगा, इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में कानून, नियम या विनियम, भले ही कोई नुकसान या क्षति उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण हो।

नोट- निविदाकार काम की मात्रा का आकलन करने के लिए दरों को उद्धृत करने से पहले साइट पर जा सकते हैं।

मैं/हमने काम के दायरे, नियम और शर्तों और ऊपर उल्लिखित अन्य जानकारी को स्पष्ट रूप से पढ़ा है और संविदा को निष्पादित करने के लिए इसे स्वीकार करते हैं, यदि प्रदान किया जाता है।

स्थान:
दिनांक:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)



भाग I, खंड VI
तकनीकी बोली

(ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए प्रासंगिकता में पढ़ा और भरा जाना है)

क्रम संख्या।	विवरण	ब्यौरा
1.	कंपनी/प्रोपराइटरशिप/फर्म का नाम -	
	i) पंजीकृत कार्यालय का पता और टेलीफोन नंबर।	
	ii) कार्यालय का पता जिसके माध्यम से आरबीआई के साथ काम किया जाएगा।	
2.	संगठन का प्रकार - (चाहे कंपनी / स्वामित्व / फर्म) और स्थापना की तारीख।	
3.	संगठन के मालिक/भागीदारों/निदेशकों का नाम	
4.	निगमन/गठन की तिथि	
5.	एजेसी/ठेकेदार का पंजीकरण नंबर। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)	
6.	सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र -केंद्र या राज्य / प्रतिष्ठित निजी क्षेत्र की कंपनियों/बहुराष्ट्रीय निगमों/सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के बैंकों में हैंडलर के साथ स्निफर डॉग्स की सेवाएं प्रदान करने में कार्य अनुभव। दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित मानदंडों में आवश्यकताओं के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण। रिज़र्व बैंक के किसी अन्य केंद्र में दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के साथ-साथ दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित पात्रता मानदंड में विवरण, यदि कोई हो,	
7.	अनुलग्नक-I में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार एजेसी/ठेकेदार द्वारा सेवा प्रदान किए गए ग्राहकों की सूची जैसा कि भाग- I खंड- III में पैराग्राफ 1 (iii) में वर्णित है (एमएसटीसी पोर्टल पर विधिवत भरा हुआ अनुलग्नक-I अपलोड करें)	
8.	अनुलग्नक-II में निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र का विवरण जैसा कि भाग- I खंड-III में पैराग्राफ 1 (iv) में वर्णित है (ग्राहक प्रमाणपत्र अपलोड करें, एमएसटीसी पोर्टल पर)	



9.	पिछले पांच (05) वित्तीय वर्षों के लिए एजेंसी/ठेकेदार का वार्षिक कारोबार (एमएसटीसी पोर्टल पर सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षित बैलेंस शीट अपलोड करें)	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	
	वित्त वर्ष 2024-25	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	
	वित्त वर्ष 2022-23	
	वित्तीय वर्ष 2021-22	
10.	पिछले पांच (05) वित्तीय वर्षों के लिए एजेंसी/ठेकेदार का आयकर रिटर्न (एमएसटीसी पोर्टल पर आयकर रिटर्न अपलोड करें)	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	
	वित्त वर्ष 2024-25	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	
	वित्त वर्ष 2022-23	
	वित्तीय वर्ष 2021-22	
11.	पिछले पांच (05) वित्तीय वर्षों के लाभ और हानि खाते: - (कृपया प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)	
	वित्तीय वर्ष 2025-26	
	वित्त वर्ष 2024-25	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	
	वित्त वर्ष 2022-23	
	वित्तीय वर्ष 2021-22	
12.	एजेंसी/निविदाकर्ता के बैंक द्वारा जारी अनुलग्नक III में निर्दिष्ट के अनुसार अपलोड किए गए बैंकरों के प्रमाण पत्र का विवरण। (एमएसटीसी पोर्टल पर बैंकर का प्रमाण पत्र अपलोड करें)	
13.	एजेंसी / ठेकेदार का पैन नंबर (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)	
14.	एजेंसी/ठेकेदार का जीएसटी पंजीकरण नंबर। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)	
15.	एजेंसी/ठेकेदार की कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पंजीकरण संख्या।(एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)	
16.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) एजेंसी/ठेकेदार का पंजीकरण नंबर। (एमएसटीसी पोर्टल पर दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)	



17.	आईएसओ प्रमाणन जैसा कि कार्य के समान दायरे के लिए लागू होता है। प्रमाण पत्र निविदा जमा करने की अंतिम तिथि पर मान्य होंगे। (एमएसटीसी पोर्टल पर संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करें।	
18.	क्या श्रम विभाग के साथ पंजीकृत है? पंजीकरण संख्या। और पंजीकरण की तिथि (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
19.	वर्तमान में कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों/कर्मचारियों की संख्या उपरोक्त में से कितने कुशल/अर्ध-कुशल/अकुशल कर्मचारी और पर्यवेक्षी कर्मचारी हैं कुशल अर्धकुशल अकुशल	
20.	एजेंसी/निविदाकर्ता द्वारा जमा ईएमडी (बयाना राशि जमा) का विवरण ₹26,000/- (चौबीस हजार छह सौ रुपये मात्र) :- यूटीआर नं. लेन-देन की तिथि आईएफएससी कोड के साथ बैंक शाखा का नाम	
21.	एजेंसी/ठेकेदार के लेटरहेड पर अनुलग्नक-IV में निर्दिष्ट वचनबद्धता	
22.	बैंकों का विवरण कंपनी / फर्म / एजेंसी के साथ खाता संख्या, खाता प्रकार, बैंकों के आईएफएससी कोड के साथ-साथ नाम, डाक पता और ई-मेल/टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन और मोबाइल नंबर) जैसे पूर्ण विवरण।	
23.	क्या केनेल क्लब ऑफ इंडिया (KCI)/राॅयल केनेल क्लब ऑफ इंडिया (RKCI)/नेशनल केनेल क्लब ऑफ इंडिया (NKCI) के साथ रजिस्टर्ड हैं?	
24.	कंपनी/फर्म/एजेंसी के संबंध में कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी	

नोट - पात्रता मानदंड में निर्दिष्ट उपरोक्त के लिए दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण नीचे दिया गया है: -

- i. कंपनी/फर्म/एजेंसी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
- ii. अनुलग्नक I में कंपनी/फर्म/एजेंसी द्वारा सेवा प्रदान किए गए ग्राहकों की सूची।
- iii. अनुलग्नक II में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार ग्राहक प्रमाण पत्र/फीडबैक।
- iv. कंपनी/फर्म/एजेंसी के वार्षिक टर्नओवर स्टेटमेंट (31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले पिछले 05 वित्तीय वर्षों के लिए)
- v. कंपनी/फर्म/एजेंसी का इनकम टैक्स रिटर्न (31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले पिछले 05 वित्तीय वर्षों के लिए)



- vi. कंपनी/फर्म/एजेंसी का लाभ और हानि खाता (31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले पिछले 05 वित्तीय वर्षों के लिए)
- vii. अनुलग्नक III में वित्तीय स्थिति पर बैंकों का प्रमाण पत्र।
- viii. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के तहत कंपनी/फर्म/एजेंसी का पंजीकरण विवरण,
- ix. पैर नं. कंपनी/फर्म/एजेंसी की।
- x. कंपनी/फर्म/एजेंसी की जीएसटी पंजीकरण संख्या।
- xi. कंपनी/फर्म/एजेंसी की **कर्मचारी भविष्य निधि** (ईपीएफ) पंजीकरण संख्या - कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआई) कंपनी/फर्म/एजेंसी की पंजीकरण संख्या।
- xiii. **अनुलग्नक-IV के अनुसार कंपनी/फर्म/एजेंसी के लेटर हेड पर वचन/घोषणा।**
- xiv. कोई अन्य दस्तावेज

(ऊपर निर्धारित पात्रता मानदंड आवश्यकताओं के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य के बिना निविदा पर बैंक द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। बैंक निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के प्रमाण के लिए कॉल करने/सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है)।

निविदाकर्ता द्वारा घोषणा:

मैं/हमने इस ई-निविदा पर हस्ताक्षर करने से पहले यहां निहित सभी उपरोक्त नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उपर्युक्त निविदा मुझे/हमारे साथ निष्पादित होने की स्थिति में उनका पालन करने के लिए खुद को वचन देते हैं। मैं/हम समझते हैं कि बैंक किसी भी या सभी ई-निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, बिना कोई कारण बताए के।

स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)



अनुलग्नक I

ग्राहकों की सूची/पिछले अनुभव का विवरण: -

पिछले 5 वर्षों के दौरान आवेदक द्वारा किए गए समान अनुबंधों की सूची (वर्तमान में उपलब्ध आदेशों सहित) प्रत्येक की लागत 5.00 लाख रुपये या उससे अधिक प्रति वर्ष:

क्रम संख्या	आपूर्ति किए गए हैंडलर (डॉग स्क्वाड) के साथ कुत्तों (नस्ल) की संख्या	प्रति वर्ष तैनाती की लागत	उस संगठन का नाम और पूरा पता जिसे सेवाएं प्रदान की गई थीं

एनबी: यह ध्यान दिया जा सकता है कि प्रति निविदाकर्ता केवल एक निविदा स्वीकार की जाएगी और निविदा बैंक के प्रारूप के अनुसार सख्ती से होनी चाहिए।



**निविदाकर्ता के निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र
(ग्राहक के लेटर हेड पर)**

ग्राहक का नाम और पता

श्री / सुश्री

द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण

एक. संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम

दो. समझौता सं. और तारीख

तीन. समझौते की राशि

चार. कार्य प्रारंभ होने की तिथि

पाँच. पूरा होने की निर्धारित तिथि

छः. पूरा होने की वास्तविक तिथि

सात. विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि इंगित करें), यदि कोई हो

आठ. पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि

नौ. उस प्राधिकारी का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किया गया है

दस. क्या निविदाकार ने कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य स्टाफ/ओवरसियर को नियुक्त किया था

ग्यारह. i) काम की गुणवत्ता (ग्रेडिंग इंगित करें): बकाया / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब

ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की मात्रा, यदि कोई हो,

बारह. i) क्या निविदाकर्ता मध्यस्थता के लिए गया था?

ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि

iii) प्रदान की गई कुल राशि

तेरह. निविदाकर्ता की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ

अ) तकनीकी दक्षता: बकाया / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब

आ) वित्तीय सुदृढ़ता : बकाया / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब

इ) पर्याप्त सेवा जुटाना: बकाया / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक/ खराब

ई) जनशक्ति का जुटाना: उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

उ) सामान्य व्यवहार: बकाया/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर*

कार्यालय मुहर के साथ

*सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए निष्पादन रिपोर्ट/ग्राहक प्रमाण पत्र के संबंध में, प्रमाण पत्र पर संबंधित प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। निजी कंपनियों के लिए किए गए कार्यों के लिए, प्रमाण-पत्रों/संविदाओं की राशि को साबित करने के लिए टीडीएस की प्रति प्रस्तुत करनी होती है।

(१) सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए।

(२) ग्राहक के प्रमाण पत्र प्रत्येक पूर्व-योग्यता कार्य के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किए जाने चाहिए।



अनुलग्नक III

अनुसूचित बैंक से बैंकर के प्रमाण पत्र का रूप

प्रमाणित किया जात है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार श्री /श्रीमती/कुमारी मामूली रूप से नोट किए गए पते के साथ, हमारे बैंक के एक ग्राहक हैं और और सम्मानजनक हैं तथा उन्हें रुपये की सीमा तक किसी भी नियुक्ति के लिए अच्छा माना जा सकता है..... (रुपये.....)।

यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी भी अधिकारी पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
बैंक के लिए

नोट:

एक. बैंकर का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए, जो भर्ती प्राधिकारी को संबोधित कवर में सील किया गया हो।

दो. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र।

एमएसटीसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टेंडर जमा करते समय मूल बैंकर के प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ प्रारूप) अपलोड की जानी चाहिए।



शपथ/घोषणा का प्रारूप
(निविदाकर्ता द्वारा एमएसटीसी पोर्टल पर अपने लेटरहेड पर अपलोड किया जाना है)

तक

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग

गुवाहाटी – 781001

महोदया/प्रिय महोदय,

- १) मैं/हम पुष्टि करते हैं कि मैंने ई-निविदा दस्तावेज में दिए गए उपर्युक्त नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और समझा है।
- २) मैं/हम एतद्वारा निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।
- ३) यह प्रमाणित करने के लिए है कि मैंने/हमने इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले इसमें निहित सभी नियमों और शर्तों और निर्देशों को पढ़ लिया है और पूरी तरह से समझ लिया है और स्वयं/स्वयं उक्त नियमों और शर्तों का पालन करने का वचन दिया है।
- ४) इसके अलावा, ई-टेंडर आवेदन में हमारे द्वारा ऊपर बताए गए तथ्य मेरे/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सही हैं।
- ५) मैं/हम घोषणा करते हैं कि एजेंसी/कंपनी/फर्म के खिलाफ जांच/जांच/परीक्षण के तहत कोई मामला/आरोप नहीं है।
- ६) मैं/हम किसी भी अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल नहीं हूँ।
- ७) मुझे/हमें किसी भी सरकारी विभाग/वित्तीय संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी क्षेत्र के उपक्रमों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है/पिछले 10 वर्षों से कानून/पुलिस अधिकारियों की अदालत के समक्ष कोई मामला लंबित नहीं है।
- ८) असंतोषजनक निष्पादन के कारण अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी संगठन द्वारा अतीत में मुझे/हमें बर्खास्त नहीं किया गया है।
- ९) मुझे/हमें किसी भी सरकारी संगठन/बैंक/किसी अन्य संस्था द्वारा लागू कानूनों के उल्लंघन या नियामक नुस्खों के उल्लंघन या समझौते के उल्लंघन या किसी भी कारण से नकारात्मक सूची में नहीं रखा गया है।
- १०) मैं/हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित), ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 और भविष्य निधि अधिनियम, ईएसआई बोनस, उपदान, छुट्टी, रिलीविंग प्रभार, वर्दी और उसके भत्ते और समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य प्रभार जैसे अन्य सांविधिक प्रावधानों का पालन करते हैं। मैं सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार तैनात कामगारों को मजदूरी का भुगतान करूंगा और किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक को बोलीदाता या उसके कर्मचारियों की ओर से किसी भी प्रकार की चूक के कारण होने वाले सभी खर्चों की क्षतिपूर्ति प्रदान करूंगा।



स्थान:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

दिनांक:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)



अनुलग्नक V

**निष्पादन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा / PROFORMA OF PERFORMANCE BANK
GUARANTEE**

(जारीकर्ता बैंक के नाम पर खरीदी गई उपयुक्त तकनीकी बोली के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)/
(On Non-Judicial Stamp Paper of appropriate technical bid purchased in the name of the issuing bank)

Place: _____

Date: _____

The Regional Director
Reserve Bank of India
Guwahati-781001

Madam,

Contract for providing service of Sniffer Dogs with Handlers at Reserve Bank of India, Main Office Building including Annex Building at Station Road, Pan Bazar, Guwahati;

WHEREAS

Reserve Bank of India, having its Central Office at Shahid Bhagat Singh Road, Mumbai, (hereinafter called "the RBI") has awarded the contract for the captioned work (hereinafter called the "Contract") to M/s _____ (Name of the Contractor) (hereinafter called "the said Contractor" which expression shall include its successors and assigns). AND Whereas the contractor is bound by the said contract to submit to RBI a Performance Security for a total amount of ₹. _____ (Rupees _____

(amount in figures and words) for the due fulfilment by the said contractor of the terms and conditions contained in the contract. We _____ (Name of the Bank), (hereinafter called "the Bank"), at the request of M/s _____, the Contractor, do hereby undertake to pay to the RBI an amount not exceeding ₹ _____ as Performance Guarantee for due fulfilment of the terms and conditions of the contract.

NOW THIS GUARANTEE WITNESSETH

एक. We (Name of the Bank) do hereby agree with and undertake to RBI, their successors, assignees that in the event of RBI coming to the conclusion that the Contractor has not performed his obligations under the said conditions of the contract or have committed a breach thereof, which conclusion shall be binding on us as well as the said contractor; we shall on demand by the RBI, pay without demur to RBI a sum of ₹ _____ (Rupees _____ only) or any lower amount that may be demanded by RBI.

Our guarantee shall be treated as equivalent to the Performance Guarantee Amount for the due performance of the obligations of the contractor under the said Contract, provided, that our liability against such sum shall not exceed the sum of ₹ _____ (Rupees _____ only).



दो. We also agree to undertake and confirm that the sum not exceeding ₹ _____ (Rupees _____ only) as aforesaid shall be paid by us without any demur or protest, merely on demand from RBI on receipt of a notice in writing stating that the amount is due to them and we shall not ask for any further proof or evidence and the notice from RBI shall be conclusive and binding on us and shall not be questioned by us in any respect or manner whatsoever. The Bank shall pay to RBI any money so demanded notwithstanding any dispute/disputes raised by the contractor in any suit or proceedings pending before any Court, Tribunal or Arbitrator/s relating thereto and the liability under this guarantee shall be absolute and unequivocal. We undertake to pay the amount claimed by RBI within a period of one week from the date of receipt of the notice as aforesaid.

तीन. We confirm that our obligation to RBI under this guarantee shall be independent of the agreement or agreements or other understandings between RBI and the contractor.

चार. This guarantee shall not be revoked by us without prior consent in writing of the RBI.

पाँच. We hereby further agree that –

अ) Any forbearance or commission on the part of RBI in enforcing the conditions of the said agreement or in compliance with any of the terms and conditions stipulated in the said contract and/or hereunder or granting of any time or showing of any indulgence by RBI to the contractor or any other matters in connection therewith shall not discharge us in any way and our obligation under this guarantee. This guarantee shall be discharged only by the performance by the contractor of their obligations and in the event of their failure to do so, by payment by us of the sum not exceeding Rs. _____ (Rupees _____ only).

आ) Our liability under these presents shall not exceed the sum of ₹ _____ (Rupees _____ only).

इ) Our liability under this agreement shall not be affected by any infirmity or irregularity on the part of our said constituents/clients or their obligations there under or by dissolution or change in the constitution of our said constituents.

ई) This guarantee shall remain in force up to (60 days beyond the Defect liability period) provided that if so desired by RBI, this guarantee shall be renewed for a further period as may be indicated by them on the same terms and conditions as contained herein.

उ) Our liability under these presents will terminate unless these presents are renewed as provided hereinabove on the or on the day when our said constituents comply with their obligations, as to which a certificate in writing by RBI alone is the conclusive proof whichever date is later. Unless a claim or suit or action is filed against us within or any extended period, all the rights of RBI against us under this guarantee shall be forfeited and we shall be released and discharged from all our obligations and liabilities hereunder.

In witness whereof, I/We of the Bank have signed and sealed this guarantee on the day of (Month) (Year) being herewith duly authorized.

For and on behalf of (Name of the Bank)



Signature of authorized Bank official

Name:

Designation

Stamp/ Seal of the Bank



उन अधिनियमों/चूकों की सूची जिनके लिए ठेकेदार के श्रम विनियमों के अनुसार जुर्माना लगाया जा सकता है

- एक. जानबूझकर अवज्ञा या अवज्ञा, चाहे वह अकेले हो या दूसरे के साथ संयोजन में।
दो. भारतीय रिज़र्व बैंक के व्यवसाय या संपत्ति के अलावा ठेकेदारों के संबंध में चोरी, धोखाधड़ी या बेईमानी।
तीन. रिश्वत लेना या देना या कोई अवैध संतुष्टि देना।
चार. आदतन देर से उपस्थिति।
पाँच. नशे में लड़ना, दंगा या अव्यवस्थित या उदासीन व्यवहार।
छः. आदतन लापरवाही।
सात. उस क्षेत्र के पास या उसके आसपास धूम्रपान करना जहां दहनशील या अन्य सामग्री बंद है।
आठ. आदतन अनुशासनहीनता।
नौ. भारतीय रिज़र्व बैंक या ठेकेदार की प्रगति पर चल रहे कार्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना।
दस. झूठी पर सो रहे हैं।
ग्यारह. नाम, आयु, पिता के नाम आदि के बारे में गलत जानकारी देना।
बारह. नियोक्ताओं द्वारा प्रदान किए गए वेतन कार्डों का आदतन नुकसान।
तेरह. झूठी शिकायतें और/या भ्रामक बयान देना।
चौदह. प्रतिष्ठानों के परिसर के भीतर व्यापार में संलग्न होना।
पंद्रह. नियोक्ताओं की पूर्व अनुमति के बिना परिसर के अंदर बैठक आयोजित करना।
सोलह. परिसर के भीतर काम के घंटों के दौरान किसी भी कामगार या नियोक्ता को धमकाना या डराना।



भाग II – वित्तीय बोली/मूल्य बोली

कार्य का नाम: आरबीआई, गुवाहाटी में हैंडलर्स के साथ स्निफर डॉग्स की तैनाती

(केवल एमएसटीसी पोर्टल पर ई-टेंडरिंग के उद्देश्य से पढ़ा जाना चाहिए न कि पीडीएफ अपलोड करने के लिए)

तालिका-I

क्रम संख्या I	विवरण	माप की इकाई	नहीं। आवश्यक व्यक्तियों की संख्या	दर (₹)	कुल राशि (₹)
A	B	C	D	E	F
1.	मूल न्यूनतम मजदूरी के साथ-साथ वीडिए, ईपीएफ, ईएसआईसी, ईपीएफ एडमिन, ईडीएलआई, और रिलीवर शुल्क सहित बोनस	मासिक (30 दिन)	02 हैंडलर	(एमएसटीसी की वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
2.	02 कुत्तों के लिए कुत्ते के रखरखाव शुल्क	मासिक (30 दिन)	02 कुत्ते	(एमएसटीसी की वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
3.	कुल मासिक शुल्क (1+2)				
4.	01 (एक) महीने के लिए सेवा शुल्क (बीमा शुल्क, वर्दी शुल्क, उपकरणों की लागत या लागू होने वाले किसी भी अन्य खर्च (तालिका I के क्रम संख्या 3 में दर्शाए गए न्यूनतम मजदूरी का प्रतिशत)	मासिक (30 दिन)	लागू नहीं	(एमएसटीसी की वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
5.	1 (एक) महीने के लिए ठेकेदार का लाभ	मासिक (30 दिन)	लागू नहीं	(एमएसटीसी की वेबसाइट पर इस राशि को दर्ज करें)	
6.	01 (एक) महीने के लिए कुल लागत (3+4+5)				
7.	01 (एक) वर्ष के लिए कुल लागत				

नोट:-



1. डॉंग हैंडलर के लिए मूल्य क्षेत्र बी के लिए वॉच एंड वॉच (बिना आर्म) के तहत केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार उद्धृत किया जाना चाहिए।
2. ऊपर उद्धृत मूल्य में विभिन्न श्रम कानूनों के तहत निविदाकर्ता के सभी वैधानिक दायित्वों को शामिल किया जाना चाहिए: अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिसूचना के माध्यम से समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित वर्तमान और लागू न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित) से अधिक); कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948; मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936; कर्मकार मुआवजा अधिनियम 1923; कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (विविध प्रावधान) 1952; बोनस भुगतान अधिनियम 1965; नियोक्ता दायित्व अधिनियम 1938 और या कोई अन्य नियम/विनियम और/या कानून जो समय-समय पर उन पर लागू हो सकती हैं।
3. न्यूनतम मजदूरी से कम मूल्य वाली बोलियां (जैसा कि ऊपर उल्लिखित सांविधिक दायित्वों सहित) अस्वीकृत की जा सकती हैं।



तालिका 2: मजदूरी के वैधानिक घटक लागू वैधानिक दिशानिर्देशों के अधीन हैं जो नीचे दिए गए हैं। ये परिवर्तन के अधीन हैं और निविदाकर्ता द्वारा नवीनतम दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।

1.	12%	ईपीएफ योगदान @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 12%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के अधीन)
2.	0.5%	ईपीएफ प्रशासनिक शुल्क @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 0.5%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के अधीन)
3.	0.5%	ईडीएलआई योगदान @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 0.5%	(प्रति माह ₹15,000/- वेतन की अधिकतम सीमा या समय-समय पर ईपीएफओ द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य राशि के अधीन)
4.	3.25%	कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) में नियोक्ता का योगदान जिसमें व्यवस्थापक शुल्क शामिल हैं, यदि कोई हो, तो मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का @ 3.25%	(यदि वेतन (बेसिक+वीडीए) ₹21,000/- प्रति माह से अधिक है या ईएसआईसी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट कोई अन्य राशि है, तो लागू नहीं)
5.	8.33%	बोनस @ मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए का 8.33%	(यदि वेतन (बेसिक+वीडीए) ₹21,000/- प्रति माह से अधिक है या समय-समय पर बोनस अधिनियम द्वारा अपडेट की गई कोई अन्य राशि है, तो लागू नहीं है।)

अनुदेश और शर्तें :-

- 1) सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रख्यापित किए जाने पर मजदूरी संशोधनों के अधीन होती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 मार्च, 2026 की अधिसूचना के माध्यम से वीडिए में वृद्धि को श्रेणीवार वेतन गणना में शामिल किया गया है और वीडिए की कोई भी और वृद्धि मासिक समेकित मजदूरी का हिस्सा बन जाएगी।
- 2) उद्धृत दरों में रिलीवर शुल्क शामिल होना चाहिए। उपरोक्त वित्तीय बोली में 30 दिनों के लिए दरों को उद्धृत किया जा सकता है। रिलीवर के लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 3) एजेंसी द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क संविदा की पूरी अवधि के दौरान तय रहेगा।
- 4) कुल शुल्क के 3.85% से कम सेवा शुल्क का उद्धरण देने वाले बोलीदाता की निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
- 6) बोलीदाता को केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए/लगाए जाने वाले जीएसटी को छोड़कर स्थानीय कानूनों, कार्य अनुबंध कर आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और ठेकेदार सरकार को उक्त करों का भुगतान करेगा और बैंक ठेकेदार को इसकी प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा। यदि ठेकेदार बिल में ऐसे करों और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा उसके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 7) बैंक अनुमानित दरों, प्रचलित बाजार दरों, कच्चे माल/श्रम के आर्थिक सूचकांकों और अन्य इनपुट लागतों आदि के संबंध में दरों की तर्कसंगतता स्थापित करेगा, तदनुसार, बैंक अपने विवेक पर, किसी भी बोलीदाता को उस विवरण और औचित्य को प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है जिसके आधार पर उद्धृत दरें आई हैं।
- 8) एजेंसी को मासिक वेतन पर अपने कर्मचारियों से संबंधित भुगतान के एनईएफटी विवरण के साथ वेतन पर्ची प्रदान करने की आवश्यकता है।
- 9) पीपीएफ/ईएसआई/ईपीएफ आदि के भुगतान का समर्थन करने वाले दस्तावेज बिलों के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता



है।

मैं/हम एतद्वारा पुष्टि करते हैं कि ऊपर उद्धृत मूल न्यूनतम मजदूरी और वीडिए मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित औद्योगिक श्रमिकों (भवन संचालन) (कुशल/अकुशल श्रमिकों के लिए) के लिए वर्तमान न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं है, और अन्य अनिवार्य शुल्क अर्थात् ईपीएफ, ईएसआई, ईडीएलआई, बोनस संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

मैं/हम सहमत हैं कि वित्तीय बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है यदि उपरोक्त दरों और प्रतिशत में से कोई भी संबंधित वैधानिक कानूनों के अनुपालन में नहीं पाया जाता है।

मैं/हमने ई-टेंडर के नियमों और शर्तों का अध्ययन किया है और उनसे सहमत हूं।

स्थान:
तिथि:

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम)